राजस्थान सरकार

लाडनूं मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड एवं नित्या अरबन स्केप

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान सरकार

आभार

लाडनूं के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में लाडनूं के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस नगरी के सुनियोजित विकास कार्यो में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलेक्टर, नागौर, नगर पालिका, लाडनूं का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान के प्रारूप को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सहयोग तथा नित्या अरबन स्केप, जयपुर द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करने में महत्ती भूमिका रही है, जिनका भी मैं आभारी हूँ।

मास्टर प्लान प्रारूप को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जलदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन में अपना सहयोग देते रहेंगे।

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

विषय – सूची

अध्याय क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	
	विषय–सूची	
	तालिका–सूची	
1-	परिचय	1
2-	विद्यमान विशेषताएं	3
2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
2.3	ऐतिहासिक	4
2.4	जनांकिकी	6
2.5	वाणिज्यिक संरचना	7
2.6	विद्यमान भू–उपयोग	8
2.6 (1)	आवासीय	9
2.6 (1)अ	आवासन	9
2.6 (1)ब	कच्ची बस्तियां	10
2.6 (2)	वाणिज्यिक	10
2.6 (3)	औद्योगिक	11
2.6 (4)	राजकीय	12
2.6 (4)अ	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	12
2.6 (5)	आमोद–प्रमोद	13
2.6 (5)अ	उद्यान एवं खुले स्थल	13
2.6 (5)ब	स्टेडियम एवं खेल मैदान	13
2.6 (5)स	अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन	13
2.6 (5)द	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	14
2.6 (6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	14
2.6 (6)अ	शैक्षणिक	14
2.6 (6)ब	चिकित्सा	15
2.6 (6)स	सामाजिक / सांस्कृतिक	16
2.6 (6)द	धार्मिक ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	16
2.6 (6)य	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	17
2.6 (6)र	जनोपयोगी सुविधाएं	17
2.6 (6)र(i)	जलापूर्ति	17
2.6 (6)र(ii)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	18
2.6 (6)र(iii)	विद्युत	19
2.6 (6)ल	श्मशान एवं कब्रिस्तान	19
2.6 (7)	परिसंचरण	20
2.6 (7)अ	यातायात व्यवस्था	20

	2.6 (7)ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	21
	2.6 (7)स	रेल सेवा	22
3.	**नियोजन की संकल्पना**		23
3.1		नियोजन की नीतियां	24
3.2		नियोजन के सिद्धान्त	27
4.	**भावी आकार**		30
4.1		जनांकिकी	30
4.2		वाणिज्यिक संरचना	31
4.3		नगरीय क्षेत्र	32
4.4		नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	32
4.5		योजना क्षेत्र	34
		(अ) पुराना शहर क्षेत्र	34
		(ब) पश्चिमी क्षेत्र	35
		(स) दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र	35
		(द) परिधि नियंत्रण क्षेत्र	35
5.	**भू–उपयोग योजना**		36
5.1		आवासीय	37
	5.1 (1)	आवासन	38
5.2		वाणिज्यिक	39
	5.2 (1)	शहरी केन्द्र	40
	5.2 (2)	व्यावसायिक केन्द्र	40
	5.2 (3)	थोक व्यापार	41
	5.2 (4)	भण्डारण एवं गोदाम	41
5.3		औद्योगिक	41
5.4		राजकीय	42
	5.4 (1)	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	42
5.5		आमोद–प्रमोद	42
	5.5 (1)	उद्यान एवं खुले स्थल	42
	5.5 (2)	स्टेडियम एवं खेल मैदान	43
	5.5 (3)	अर्द्ध सार्वजनिक मनोंरजन	43
	5.5 (4)	मेले/पर्यटन सुविधाएं	43
5.6		सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	44
	5.6 (1)	शैक्षणिक	44
	5.6 (2)	चिकित्सा	45
	5.6 (3)	सामाजिक/सांस्कृतिक	45
	5.6 (4)	धार्मिक स्थल/ऐतिहासिक	45
	5.6 (5)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	46
	5.6 (6)	जनोपयोगी सुविधाएं	46
	5.6 (6)अ	जलापूर्ति	46

		5.6 (6)ब	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	47
		5.6 (6)स	विद्युत	47
5.7			परिसंचरण	48
	5.7 (1)		प्रस्तावित यातायात संरचना	48
		5.7 (1)अ	सड़कों का मार्गाधिकार	49
		5.7 (1)ब	सड़कों को वृहदीकरण एवं उनका सुधार	49
		5.7 (1)स	चौराहों का सुधार	50
		5.7 (1)स	पार्किग व्यवस्था	51
	5.7 (2)		बस तथा ट्रक टर्मिनल	51
	5.7 (3)		रेल सेवा	52
5.8			परिधि नियंत्रण पट्टी	52
	5.8 (1)		ग्रामीण आबादी क्षेत्र	53
5.9			जोनिंग रेग्युलेशन	53

6. योजना का क्रियान्वयन 54

6.1	वर्तमान आधार	54
6.2	प्रस्तावित आधार	55
6.3	जन सहभागिता एवं जन सहयोग	56
6.4	भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	56

परिशिष्टः–

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (मास्टर प्लान) 57
2. राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण 59
3. नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2010 61
4. राज्य सरकार से अनुमोदन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रेल, 2012 62

तालिका – सूची

तालिका सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
तालिका–1	लाडनूं शहर में जनसंख्या वृद्धि दर (1921–2001)	6
तालिका–2	वाणिज्यिक संरचना लाडनूं (1991–2001)	7
तालिका–3	विद्यमान भू–उपयोग लाडनूं–2010	9
तालिका–4	औद्योगिक इकाईयां लाडनूं–2010	12
तालिका–5	शैक्षणिक संरचना लाडनूं–2010	15
तालिका–6	चिकित्सा सुविधाएं लाडनूं–2010	16
तालिका–7	जलापूर्ति कनेक्शन लाडनूं–2010	18
तालिका–8	विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग लाडनूं–2009	19
तालिका–9	प्रतिदिन बाहर से आने वाले वाहनों का विवरण लाडनूं–2010	22
तालिका–10	लाडनूं शहर की जनसंख्या का आंकलन (2001–2031)	30
तालिका–11	वाणिज्यिक संरचना लाडनूं–2031	32
तालिका–12	योजना उपक्षेत्र लाडनूं–2031	34
तालिका–13	प्रस्तावित भू–उपयोग लाडनूं–2031	37
तालिका–14	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना लाडनूं–2031	44
तालिका–15	सड़कों का मार्गाधिकार, लाडनूं–2031	49

परिचय 1

लाडनूं कस्बा नागौर जिले की लाडनूं तहसील का मुख्यालय है। लाडनूं अपने नाम के अनुरूप धनाढ्य एवं सेठों का शहर रहा है जहाँ से वे भारत के विभिन्न बड़े शहरों में फैले हुए है। राजस्थान राज्य बनने से पहले यह जोधपुर रियासत की जागीर थी। यह नगर सुजानगढ़, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर एवं अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली–रतनगढ़–जोधपुर रेलवे लाइन पर यह एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से यह 380 कि.मी. एवं जयपुर से 220 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बीकानेर एवं जोधपुर से इसकी दूरी क्रमशः 200 एवं 240 कि.मी. है।

ऐतिहासिक पृष्टभूमि के अनुसार लाडनूं नगर का अस्तित्व महाभारत काल से है। शिशुपाल वंशी ड़ाहलिया चन्देल वंशजों के अधिपत्य में यह चन्देरी नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय यह मुख्य नगर के रूप में विकसित था तथा चन्देल राजाओं ने ही यहां पर किले का निर्माण कराया। कालान्तर में इसका नाम "महिपतिपुर" एवं लाडनूं पड़ा। यहां का प्राचीन जैन मन्दिर ईसा से 200 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहां के ऐतिहासिक स्मारकों से यह स्पष्ट होता है कि यह शहर प्राचीन समय से ही स्थापित था तथा कालान्तर में अनेक घटनाओं का शिकार हुआ। यहां के मन्दिर, किले की दीवार, प्राचीन बावड़ियां एवं अन्य स्मारक इसके लम्बे इतिहास के साक्षी है। बीसवीं सदी में सन् 1909 में रेलवे लाइन, 1933 में नगरपालिका, तहसील मुख्यालय, अस्पताल, सरकारी स्कूल, मदरसा, दाल मिल, बिजली व्यवस्था आदि के विकास के बाद लाडनूं शहर का विस्तार परकोटे के बाहरी क्षेत्रों में अधिक हुआ है।

लाडनूं की जनसंख्या वर्ष 1971 में 28,226 व्यक्ति थी जो 2001 में बढ़कर 57,070 हो गयी। इस प्रकार गत 30 वर्षो में जनसंख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। दक्षिण पूर्व में मेगा हाईवे सड़क का निर्माण होने के कारण इस ओर तेजी से आवासीय कालोनियां बस रही है। जो कच्ची बस्ती के रूप में बेतरतीब फैली हुई है। यहां पर सड़क, नाली, बिजली, पार्क आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं है। शहर की पुरानी आबादी में भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नगर विकासोन्मुख है अतः यह आवश्यक है कि शहर के विकास को व्यवस्थित रूप दिया जाए एवं जिससे भविष्य में इसका विकास सुनियोजित रूप से हो सके।

उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए, राज्य सरकार ने लाडनूं शहर का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया, तदानुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांकः 13 जनवरी 2010 की अनुपालना में 7 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लाडनूं शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिये लाडनूं का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन अजमेर को इसका मास्टर प्लान बनाने के लिये अधिकृत किया।

मास्टर प्लान बनवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा आवास विकास लिमिटेड, जयपुर को दी गयी जिसने नित्या अरबन स्केप, जयपुर को प्रारूप मास्टर प्लान बनाने का कार्य दिया। उक्त संस्था द्वारा लाडनूं शहर के मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक भौतिक सर्वेक्षण किये गये तथा विभिन्न स्त्रोतों से आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन किया गया। मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया के बीच में लाडनूं शहर के विकास से सम्बन्धित सरकारी अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों से भी लाडनूं की समस्याओं एवं विकास की सम्भावनाओं के बारे में विचार–विमर्श किया गया।

नगर की वर्तमान परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन एवं लोगों से विचार–विमर्श के बाद वर्ष 2031 तक के लिये लाडनूं शहर का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार किया गया। लाडनूं के प्रारूप मास्टर प्लान–2031 को राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 (1) के अनुसरण में आम जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दिनांकः 25.01.2011 को प्रमाणित किया गया एवं 30 दिवस की समयावधि के लिए नगर पालिका लाडनूं में आम जनता के अवलोनार्थ एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी।

लाडनूं के प्रारूप मास्टर प्लान पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रारूप मास्टर प्लान को ही मास्टर प्लान के साथ में अन्तिम रूप देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्राप्त है।

वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन, अजमेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसारण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(190)नविवि/3/2009 जयपुर, दिनांक 11 अप्रेल, 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया हैं (परिशिष्ट–4)

विद्यमान विशेषताएं 2

2.1 भौगोलिक स्वरूप

लाडनूं 27^0 39^1 उत्तरी अंक्षाश एवं 74^0 24^1 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी 220 किलोमीटर एवं जिला मुख्यालय नागौर से 85 किलोमीटर है। लाडनूं जोधपुर–दिल्ली रेलवे लाईन पर एक प्रमुख स्टेशन है। यह जोधपुर, नागौर, सुजानगढ, अजमेर एवं बीकानेर जैसों शहरों से सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। लाडनूं पूर्व राष्ट्रीय उच्च मार्ग–65 एवं नवनिर्मित किशनगढ–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। लाडनूं के उत्तर पूर्व की ओर ताल छापर का प्रसिद्ध क्षेत्र है जो काले हिरणों के लिये प्रसिद्ध है। लाडनूं के उत्तर पूर्व में करीब 8 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ कस्बा स्थित है।

लाडनूं शहर समुद्र तल से 340 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है तथा सामान्य ढ़ाल उत्तर पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ है। शहर के पास ग्रामीण क्षेत्रों में पत्थर की खाने है।

जलवायु

लाडनूं शहर की सामान्य जलवायु शुष्क एवं गर्म है। लाडनूं की औसत वर्षा 357 मिलीमीटर है। वर्षा की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है तथा लगभग 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महिनों में होती है। गर्मी के दिनों में यहां पर औसत तापमान अप्रैल से अगस्त तक 40^0 सेन्टीग्रेट से ऊपर रहता है। मई व जून के महिनों में कभी–कभी तापमान 48^0 सेण्टीग्रेट तक भी पहुँच जाता है। आस–पास बालू मिट्टी के कारण इस मौसम में रात्रि को न्यूनतम तापमान भी 25^0–30^0 सेन्टीग्रेट के बीच में रहता है। शीत ऋतु में औसतन तापमान 22^0 से 25^0 सेन्टीग्रेट के मध्य रहता है तथा न्यूनतम 6^0 से 10^0 सेन्टीग्रेट के बीच रहता है। पश्चिमी हवाओं के कारण कभी–कभी तापमान रात्रि को हिमांक से भी नीचे चला जाता है। बरसात के मौसम को छोडकर अन्य महिनों में वायु शुष्क रहती है एवं आर्द्रता 20 से 40 प्रतिशत के बीच रहती है। जुलाई से सितम्बर के मध्य आर्द्रता 50 से 70 प्रतिशत तक रहती है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

लाडनूं राजस्थान के पश्चिमी भाग में नागौर जिले का तहसील मुख्यालय है। इसके उत्तर में सुजानगढ़ एवं दक्षिण में डीडवाना दो प्रमुख नगर है। यह दिल्ली रतनगढ़–जोधपुर बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ है। नागौर से इसकी दूरी 85 कि.मी., जयपुर से 220 कि.मी. एवं बीकानेर से 200 कि.मी. है। यह नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग–65 तथा वर्तमान किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित होने के कारण नागौर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, चुरू, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर आदि शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। लाडनूं के आस–पास पत्थर की खदानें है जिससे भवन निर्माण के लिये पत्थर उपलब्ध होता है। यहां पर राजकीय चिकित्सालय, तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति तथा जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कारण उच्च शैक्षणिक सुविधा एवं डोरिया थोक बाजार साड़ियाँ जिन्हे लाला मोदी की साड़ियों के नाम से जाना जाता है, के कारण लाडनूं अपने क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर है।

प्राचीन काल से ही लाडनूं धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। लाडनूं भूतपूर्व ठिकानों का प्रशासनिक केन्द्र था। कालान्तर में यहां पर ग्वार, मूंग का व्यापार अधिक प्रसिद्ध था। जबकि यहां के कपड़े की रंगाई एवं छपाई का काम आज भी प्रसिद्धि पा रहा है। जैन विश्व भारती की स्थापना के बाद लाडनूं जैन शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया है जहाँ पर देश–विदेश से लोग आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये आते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत लाडनूं का क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

2.3 ऐतिहासिक

लाडनूं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अवशेषों के अनुसार इस नगर का इतिहास महाभारत काल से प्रारम्भ होता है। इसके अनुसार कृष्ण के समकालीन शिशुपाल वंशीय डहेलिया चंन्दलों के समय यहां पर किले, चन्द्रमहल एवं चन्द्रा बावड़ी का निर्माण किया गया था तभी से यह स्थान चन्देरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा से 200 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के प्रपौत्र सम्प्रति ने यहां जैन मन्दिर की स्थापना की जो आज प्राचीन जैन मन्दिर के नाम से जाना जाता है। इसका गर्भ गृह जमीन से 10 फीट नीचे है। इतिहास के लम्बे समय तक इस नगर में अनेक शासकों का राज्य रहा जिसमें बागड़ी राजपूत एवं मोहिलों ने शासन किया। मोहिलों के समय इसे महिपतिपुर

के नाम से जाना जाता है। इसी समय मोहिल मनसुख ने किले की बुर्ज को पक्का बनाने का प्रयास किया जिसके निर्माण में अनेक बाधाएँ आयी थी। बाद में छापर के पंडित "लाडोजी" के प्रयास से बुर्ज का निर्माण हो सका अतः उन्ही के नाम से इस नगर का नाम लाडनूं पड़ा।

अपने लम्बे इतिहास में लाडनूं ने अनेक उथल–पुथल देखे। नगर एवं मन्दिरों की तोड़–फोड़ होती रही परन्तु लाडनूं नगर इन सभी गतिरोधों को झेलता हुआ अपना अस्तित्व बनाये रखने में सफल रहा। सोलहवीं शताब्दी में यह जोधपुर राजाओं के अधीन आ गया तथा उसके बाद नगर का विकास सामान्य रूप से होने लगा। यहां पर अनेक जैन मन्दिर एवं मस्जिद बने हुए है जो नगर की संस्कृति के प्रतीक है। यहां का किला शहर के मध्य स्थित था जिसके चारों ओर प्राचीर बनी हुई थी। अठारहवीं सदी तक नगर का विस्तार चारदीवारी तक ही सीमित था तथा इसके बाहर कुछ मन्दिर एवं बावड़ियाँ ही बनी हुई थी। उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में ठाकुर मंगल सिंह के समय लाडनूं का अधिक विस्तार हुआ। सीधी सपाट समानान्तर पट्टियाँ उसी समय की देन है। ऐसी आठ पट्टियाँ आज भी शहर का मुख्य आवासीय क्षेत्र है। इन पट्टियों में हवेलियाँ, बगीचे, मन्दिर आदि अपनी भव्यता दर्शाते है। पट्टियों के विकास के साथ ही यहां पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ भी व्यवस्थित रूप से स्थापित हुई तथा सब्जी मंड़ी, धान मंड़ी क्षेत्रों में अधिकतर व्यापारिक संस्थान स्थापित हुए।

वर्ष 1909 में जोधपुर–रतनगढ़ रेलवे लाइन के आगमन के कारण शहर के पूर्व में रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़कों के समानान्तर शहर का विस्तार हुआ। इसी क्षेत्र में मदरसा एवं जौहरी स्कूल, नगरपालिका, तहसील कार्यालय आदि स्थापित हुए। वर्ष 1933 में लाडनूं नगरपालिका की स्थापना हुई जो जोधपुर रियासत की प्राचीनतम नगरपालिकाओं में से एक है। लाडनूं नगर निरन्तर विकास की ओर अग्रसर रहा है जहाँ अनेक आवासीय कॉलोनियां, सरकारी अस्पताल, मन्दिर, मस्जिद, वाणिज्यिक संस्थानों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण निर्माण "जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय" है जो आज जैन शिक्षा का देश का प्रमुख केन्द्र है। यहां पर देश–विदेश से छात्र एवं विद्वान अध्ययन के लिये आते है।

किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप शहर के विकास को एक नयी दिशा प्रदान हुई, यह मार्ग लाडनूं के दक्षिण दिशा में बाईपास के रूप में बनाया गया है। इस मार्ग का महत्व बढ़ जाने से बीच के रिक्त पड़े क्षेत्र में

अब तीव्र गति से विकास हो रहे हैं। इसी मार्ग पर स्टेडियम, सिनेमा हाल, पेट्रोल पम्प, होटल आदि निर्मित हो चुके हैं। अभी विकास की यह प्राथमिक दशा है। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत लाडनूं शहर निश्चय ही एक विकासशील शहर के रूप में अग्रसर है।

2.4 जनांकिकी

लाडनूं शहर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही है। वर्ष 1921 में यहां की जनसंख्या 10,181 थी। जो वर्ष 2001 में 57,070 हो गयी। जनसंख्या वृद्धि दर भी सामान्यतः 20 से 35 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 1971 में यहां की जनसंख्या 28,226 थी जो 2001 तक दोगुनी हो गयी। लाडनूं शहर मध्यम स्तर का होते हुए भी सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है जैसेः– अस्पताल, कॉलेज, पोस्ट आफिस, प्रशासनिक भवन आदि, परिणाम स्वरूप यहां व्यक्ति बाहर से भी आकर व्यापार के लिये निवास करने लगे है। लाडनूं शहर की जनसंख्या वृद्धि दर नीचे तालिका संख्या–1 में दर्शायी गयी है:

तालिका–1

लाडनूं शहर में जनसंख्या वृद्धि दर (1921–2001)

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि दर
1921	10,181	26.63
1931	13,275	30.39
1941	16,446	23.89
1951	20,914	27.57
1961	27,825	13.92
1971	28,226	18.17
1981	35,970	27.44
1991	48,205	34.01
2001	57,070	18.04

(स्त्रोत : जनगणना विभाग भारत सरकार, राजस्थान, जयपुरः 1921–2001)

2.5 वाणिज्यिक संरचना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लाडनूं शहर की कार्यशील जनसंख्या 26.6 प्रतिशत थी, जो अन्य बड़े नगरों की अपेक्षा कम थी। पुरूषों में कार्यशील सहभागिता 45 प्रतिशत तथा स्त्रियों में यह 7 प्रतिशत थी। तालिका संख्या–2 में वर्ष 1991 व 2001 की वाणिज्यिक संरचना दर्शायी गयी है:

तालिका–2

वाणिज्यिक संरचना लाडनूं (1991–2001)

क्र.सं.	व्यवसाय	1991		2001	
		कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत	कामगार व्यक्तियों की संख्या	काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
1	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियां	2,770	24.30	1,251	8.20
2	घरेलू उघोग	714	6.30	1,462	9.60
3	लघु एवं मध्यम उद्योग	1,045	9.20	1,594	10.50
4	निर्माण	1,612	14.10	2,275	15.00
5	व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ	2,669	23.40	3,721	24.50
6	परिवहन एवं संचार	348	3.10	1,140	7.50
7	अन्य सेवाएं	2,239	19.60	3,751	24.70
	योग	**11,397**	**100.00**	**15,194**	**100.00**

(स्त्रोत : जनगणना विभाग भारत सरकार, राजस्थान, जयपुर : 1991–2001)

लाडनूं की वाणिज्यिक संरचना से यह स्पष्ट होता है कि यह नगर व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र रहा है जिसमें वर्ष 1991 में करीब 23.40 प्रतिशत लोग कार्यरत थे। लाडनूं नगरपालिका क्षेत्र काफी बड़ा है, अभी भी यहां खेती होती है। यही कारण है कि यहां पर वर्ष 1991 में करीब 24.30 प्रतिशत लोग कृषि कार्यो में कार्यरत थे परन्तु वर्ष 2001 में केवल 8.20 प्रतिशत लोग ही कृषि कार्य में संलग्न रह गये थे। यहां पर घरेलू उद्योग काफी प्रचलित है तथा वर्ष 2001 में 9.60 प्रतिशत लोग घरेलू उद्योग में कार्यरत थे। यहां आभूषण बनाने एवं साड़ी छपाई का काम काफी प्रचलित है। यहां भवन निर्माण कारीगरों की भी अधिकता है, जो कुल कार्यशील जनसंख्या के 15 प्रतिशत के करीब थे। अन्य सेवाओं में केवल 24.70 प्रतिशत लोग ही कार्यरत थे। लाडनूं शहर में रंगाई, छपाई व लाडनूं प्रिंट की साड़ियों का काम प्रसिद्ध है। यहां की साड़ियाँ देश के अन्य भागों में भेजी जाती है। चूरी खाटा यहां प्रचुर मात्रा में तैयार किया जाता है जो बाहर भी भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यहां ऊँट गाड़ी के पहिये का भी निर्माण किया जाता है।

2.6 विद्यमान भू–उपयोग

लाडनूं शहर की आबादी वर्ष 2001 में 57,070 थी। नगरपालिका का क्षेत्र करीब 1600 हैक्टेयर है जिसमें करीब 532.5 हैक्टेयर ही विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है। शेष भूमि कृषि, चरागाह एवं रिक्त पड़ी हुई है। वर्ष 2010 में नगर में घनी आबादी के कारण कुल विकसित शहरी क्षेत्र का 60 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय उपयोग में है। यहां पर कोई कृषि उपजमंडी तथा औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग में क्रमशः 1.4 प्रतिशत एवं 5.9 प्रतिशत भूमि ही उपयोग में आ रही है। यहां पर जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान, मन्दिर एवं मस्जिद के कारण सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग में कुल विकसित क्षेत्र की 14.60 प्रतिशत भूमि आती है। यहां पर सरकारी कार्यालय सीमित मात्रा में ही है अतः कार्यालयों के उपयोग में 0.80 प्रतिशत भूमि आती है। विद्यमान भू–उपयोग 2010 का विवरण तालिका संख्या–3 में दर्शाया गया है:

तालिका–3

विद्यमान भू–उपयोग, लाडनूं–2010

क्र.सं.	भू–उपयोग	भू–उपयोग (हैक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	320.00	60.00	54.50
2.	वाणिज्यिक	7.50	1.40	1.30
3.	औद्योगिक (अ.) खनन क्षेत्र (ब.) औद्योगिक	 30.00 1.50	 5.60 0.30	 5.10 0.30
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	4.00	0.80	0.70
5.	आमोद–प्रमोद	17.00	3.20	2.90
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	77.50	14.60	13.20
7.	परिसंचरण	75.00	14.10	12.80
	विकसित क्षेत्र	**532.50**	**100.00**	**90.80**
8.	कृषि, पौधशाला, गौशाला	23.00	.	3.80
9.	खुला क्षेत्र	30.00	.	5.10
10.	जलाशय	1.50	.	0.30
नगरीयकृत क्षेत्र		**587.00**	**100.00**	**100.00**

2.6(1) आवासीय

2.6(1)अ आवासन

वर्ष 2010 के भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार आवासीय क्षेत्र 320 हैक्टेयर है जो विकसित क्षेत्र का 60 प्रतिशत है। वर्तमान में शहर का औसत आवासीय घनत्व 218 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

लाडनूं नगरपालिका सीमा 30 वार्डो में विभक्त है। आबादी का घनत्व पुराने आवासीय क्षेत्रों में अधिक है तथा परिधि के क्षेत्रों में कम। अधिक घनत्व शहर के पुराने आबादी वाले वार्ड संख्या 7, 8, 9, 11, 13, 14, एवं 15 में है जहाँ घनत्व 200 व्यक्ति

प्रति हैक्टेयर से अधिक है। मध्यम घनत्व वाले वार्ड 6, 7, 8, 10, 18, 19, 23, 27 है जहाँ घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के बीच है। कम घनत्व वाले वार्ड 3, 6, 8, 10, 17, 20, 27, 29, 30 हैं जहाँ घनत्व 100 व्यक्ति हैक्टेयर से कम है। इन वार्डों में नयी कॉलोनियां बसी हुई है जिनका अभी पूर्ण विकास होना शेष है। शहर के बाहरी वार्ड नम्बर 1, 25, 26, 4, 5, 17, 21, 24 क्षेत्रफल में काफी बड़े है परन्तु यहां पर बस्तियों का विकास बहुत कम हुआ है। अतः इनका घनत्व भी 50 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से भी कम है।

पुराने शहर में जो घनी आबादी का क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी–बड़ी बहुमंजिली हवेलियाँ है। सड़कों की चौड़ाई बहुत ही कम है। इन्हीं सड़कों के किनारे दुकानों की पंक्तिबद्ध कतारें हैं। यहां अत्यधिक भीड़ रहती है।

2.6(1)ब कच्ची बस्तियां

लाडनूं शहर में नगरपालिका द्वारा कोई अधिसूचित कच्ची बस्ती नहीं है, परन्तु सर्वेक्षण के समय यह पाया गया कि कतिपय आवासीय क्षेत्रों में कच्ची बस्ती जैसी स्थितियाँ विद्यमान है। ऐसी बस्तियां मुख्यतया दक्षिण में बाईपास रोड की तरफ जाने वाली सड़कों के किनारे बाईपास के दक्षिण में तथा उत्तर एवं पश्चिम में शनैः शनैः विकसित हो रही हैं। इन बस्तियों में ज्यादातर मकान कच्चे है तथा जल–मल निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण कीचड़ इकट्ठा होता रहता है। नगरपालिका द्वारा अभी इन्हे चिन्हित नहीं किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 तक विकसित कच्ची बस्तियों को नियमित करने बाबत निर्णय लिया गया है। अतः नगरपालिका द्वारा कच्ची बस्तियों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जानी है।

2.6(2) वाणिज्यिक

लाडनूं प्राचीन समय से ही अपने क्षेत्र का एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र रहा है। यहां से मूंग, मोठ, बाजरा बाहर भेजा जाता है तथा ऊँट गाड़ी के पहिए भी बनाए जाते हैं। लाडनूं में रंगाई एवं छपाई का काम होने से इससे सम्बन्धित व्यवसाय उन्नति की ओर अग्रसर है।

लाडनूं का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र पुराने शहर में ही स्थित है। सेवा चौक से गांधी चौक का क्षेत्र शहर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्रबिन्दु है। गांधी चौक में ही सब्जी मंड़ी स्थित है। यहां से चारों दिशाओं को जाने वाली सड़कों पर

वाणिज्यिक गतिविधियां फैली हुई है। इसके साथ ही छोटी–छोटी गलियों में भी वाणिज्यिक संस्थान है। रेलवे स्टेशन को जाने वाली तेली मस्जिद सड़क के दोनों ओर दुकानों की कतार हैं। जौहरी स्कूल सड़क एवं विश्व भारती रोड की पहली पट्टी पर भी दुकानें बनी हुई है।

लाडनूं में कृषि उपज मंडी नही है अतः थोक व्यापार भी इन्हीं क्षेत्रों में केन्द्रित है। लोहे एवं मशीनरी तथा भवन निर्माण सामग्री की दुकानें भी गांधी चौक से दक्षिण की तरफ जाने वाली डीडवाना रोड पर ही स्थित है। बस स्टैण्ड का समुचित स्थान नहीं होने के कारण बसें जैन मन्दिर, सुखदेव आश्रम के पास ही ठहरती है। इसके पास ही बीस खम्भों वाली छतरी एवं एक पुराना कुँआ स्थित है, यहां पर दोनों तरफ थड़ियां/दुकानें स्थित होने के कारण ऐतिहासिक इमारतों का स्वरूप बिगड़ रहा है। लाडनूं में अलग से व्यवस्थित रूप से भवन निर्माण सामग्री, थोक कपड़ा बाजार एवं सब्जी मंडी का स्थान निर्धारित नहीं होने के कारण सभी वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य बाजारों में ही केन्द्रित है। इससे यातायात में अवरूद्धता होती रहती है।

2.6(3) औद्योगिक

लाडनूं में कोई भारी उद्योग नहीं है परन्तु यहां पर छोटे एवं घरेलू उद्योगों की अधिकता रही है। लाडनूं की कोटा डोरिया साड़ियाँ तथा रंगाई–छपाई का काम प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। यहां की साड़ियाँ लाला मोदी साड़ी के नाम से विख्यात है। यहां के अन्य उद्योगों में हैण्डलूम, खादी वस्त्र, चूरी, लुगदी से कागज बनाना प्रमुख है। राजस्थान में लाडनूं में ही सर्वप्रथम हवाई जहाज के टायरों वाली ऊँट गाड़ियों का निर्माण किया गया जो अब यहां का प्रमुख उद्योग बन गया है। इसके लिये यहां के कारीगर को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। यहां पर निर्मित ऊँट गाड़ियों की राजस्थान एवं हरियाणा में बहुत मांग है। विद्यमान औद्योगिक इकाईयाँ वर्ष 2010 का विवरण तालिका संख्या–4 में दर्शाया गया हैः

तालिका–4

औद्योगिक इकाईयां लाडनूं–2010

क्र.सं.	उद्योग	इकाइयों की संख्या	कार्यरत व्यक्ति
1.	सूती कपड़ों की रंगाई, छपाई उद्योग	6	27
2.	खादी वस्त्र उद्योग	6	24
3.	लकड़ी का कार्य	6	26
4.	चमड़े के जूते	4	8
5.	बैलगाड़ी/ऊँटगाड़ी का निर्माण	20	112
6.	वाहन मरम्मत एवं मशीनरी का काम	12	18
7.	लोहे एवं अन्य धातु का काम	4	19
8.	पत्थर की कारीगरी एवं पालिशिंग	6	68
9.	कपड़े का धागा बनाने का कारखाना	1	32
10.	अन्य	13	28
योग		**78**	**362**

खनन क्षेत्र

लाडनूं के आस–पास इमारती पत्थरों के खनन का काम होता है। ऐसे 3 बड़े क्षेत्र लाडनूं नगरपालिका सीमा में स्थित है, जिनका क्षेत्रफल करीब 30 हैक्टेयर है। यह खदानें विकसित शहरी क्षेत्र के समीप है इनके पास ही क्रेशर लगे हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित रहता है। इन्हें बन्द किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में यह भाग व्यवस्थित रूप से विकसित हो सके।

2.6(4) राजकीय

2.6(4)अ सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

लाडनूं उपखण्ड मुख्यालय है। यहां पर तहसील कार्यालय सहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचायत समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक वन संरक्षक, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नगर पालिका, लाडनूं कार्यालय है। इन सभी कार्यालयों में कुल 380 कर्मचारी काम कर रहे है। जसवन्तगढ़ रोड पर रेलवे फाटक के पास तहसील, पी. डब्लू.डी., पंचायत समिति के कार्यालय है। शेष कार्यालय अन्य स्थानों पर स्थित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय बाईपास रोड पर कंरट के बालाजी चौराहा के पास स्थित है।

2.6(5) आमोद–प्रमोद

लाडनूं में वर्तमान में आमोद–प्रमोद के लिये उद्यान, क्लब, खेल के मैदान आदि पर्याप्त नही हैं। कुल विकसित क्षेत्र का 3.2 प्रतिशत ही इस उपयोग के लिये उपलब्ध है। इसका मुख्य कारण शहरी स्तर पर इन सुविधाओं का उचित विकास नहीं होना है।

2.6(5)अ उद्यान एवं खुले स्थल

बस स्टैण्ड के पास सुखदेव आश्रम में एक सुन्दर उद्यान विकसित है। इसके अलावा यहां पर अनेक बगीचियाँ है जो मुख्यतया निजी है। इन बगीचियों की चारदीवारी के अन्दर काफी खुला स्थल है। शहर में कई जगह ऐसे अनेक खुले स्थल विद्यमान है। गांधी चौराहा के पास किले की भूमि भी अब खाली है तथा किले का कोई अवशेष शेष नहीं है। लाडनूं में कुछ पुरानी बावड़ियां है, जिनमें मांजी का तालाब शहर के पश्चिम में स्थित है। इसके आस–पास काफी भूमि रिक्त है परन्तु इस बावड़ी में भी शहर का गन्दा पानी एवं कचरा आने के कारण यह लुप्त होने के कगार पर है। शहर के कुछ धार्मिक स्थलों जैसे– बालाजी मन्दिर, उमरशाह गाजी की दरगाह, पुराना जैन मन्दिर आदि के पास खुले स्थल होने के कारण लोग एकत्रित होते है। करंट के बालाजी के सामने दशहरा मैदान के समीप नगरपालिका ने उद्यान विकसित किया गया है।

2.6(5)ब स्टेडियम एवं खेल के मैदान

बाईपास रोड पर स्टेशन के दक्षिण में एक स्टेडियम है जिसमें खेल के साथ–साथ सार्वजनिक समारोह भी आयोजित किये जाते है। कुछ शिक्षण संस्थाओं के पास स्वयं के खेल के मैदान है। स्थानीय निकाय या राजकीय स्तर पर कालोनियों में बच्चों के लिये खेल के मैदान की व्यवस्थाएँ नहीं है। लेकिन बाईपास रोड पर दशहरा मैदान पर बच्चे खेलते है। जैन विश्व भारती के प्रांगण में खेल का मैदान है।

2.6(5)स अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

लाडनूं में एक सिनेमा हॉल है। यहां पर मनोरंजन के लिये एक भी क्लब या संस्थान नहीं है, कुछ सामाजिक संस्थान जैसे– जैन भवन, मदरसा, जामा मस्जिद आदि में सार्वजनिक आयोजन किये जाते है।

2.6(5)द मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

लाडनूं अपनी संस्कृति की विरासत को अभी भी संजोये हुए है। यहां पर गणगौर मेला, शीतला माता मेला, तीज मेला, दशहरा मेला, रामदेवजी का मेला, नृसिंह चतुर्दशी एवं जसवंन्तगढ़ रोड पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। जैन विश्व भारती के अलावा यहां पर पर्यटकों को आकर्षित करने के अन्य स्थल भी है। जैसे उमरशाह की दरगाह जहाँ उर्स का मेला लगता है। पुराना जैन मन्दिर, बीस खम्भों की छतरी, सुखधाम जैन भवन, हवेलियां आदि पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। लाडनूं में पर्यटकों की सुविधा के लिये अच्छे होटलों की नितान्त आवश्यकता है, यहां पर कोई भी स्टार होटल नहीं है। केवल छोटे–छोटे होटल हैं जो क्षेत्रीय लोगों हेतु रात्रि विश्राम के लिये पर्याप्त नही है। बाईपास रोड पर बने हुए होटलों में भी उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, परन्तु जैन विश्व भारती में रहने के लिये अच्छे अतिथिगृह बने हुए हैं जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 77.50 हैक्टेयर भूमि है जो कुल विकसित क्षेत्र का 14.60 प्रतिशत है इस उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित है।

2.6(6)अ शैक्षणिक

लाडनूं शहर में उच्च शिक्षा केन्द्र के रूप में जैन विश्व भारती, विश्व विद्यालय है। इस विश्व विद्यालय की स्थापना आचार्य तुलसी द्वारा सन् 1970 में की गयी थी, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा की भी व्यवस्था है। यहां स्नातकोत्तर स्तर तक की भी शिक्षा दी जा रही है। यहां पर महिला महाविद्यालय, महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय एवं विमल विद्याविहार तथा तुलसी विद्याविहार प्राथमिक एवं हायर सैकण्ड़री स्तर से लेकर स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करते है। विश्वविद्यालय का अपना अलग भवन एवं परिसर है जिसमें पुस्तकालय, खेल का मैदान, छात्रावास, अतिथिगृह, आवासीय भवन, प्रेक्षा केन्द्र आदि है। सम्पूर्ण परिसर हरा–भरा एवं स्वच्छ रहने के कारण सोम्य स्वरूप प्रदान करता है। इस संस्थान में करीब 1200 छात्र–छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

जैन विश्व भारती के अतिरिक्त लाडनूं में एक महिला महाविद्यालय, 14 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 9 प्राथमिक विद्यालय है। विभिन्न विद्यालयों की संख्या एवं उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नीचे तालिका संख्या–5 में दर्शायी गयी है:

तालिका–5

शैक्षणिक संरचना लाडनूं–2010

क्र. सं.	शैक्षणिक स्तर	आयुवर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में औसत विद्यार्थियों की संख्या
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	प्राथमिक विद्यालय	5–10	10,100	3,790	37.5	9	421
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11–13	5,860	2,633	44.9	12	219
3.	मध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14–17	8,640	3,452	40.0	14	247
योग			**24,600**	**9,875**	–	**35**	–

(स्त्रोतः जिला शिक्षाधिकारी एवं नोडल ऑफिस, लाडनूं)

2.6(6)ब चिकित्सा

लाडनूं शहर में राजकीय सामान्य चिकित्सालय गौशाला रोड पर स्थित है इसी के सामने ही महिला चिकित्सालय भी है। इसके अतिरिक्त विश्व भारती रोड पर मंगलम अस्पताल है। इन अस्पतालों में करीब 200 शैय्यायें है। इनमें सामान्य चिकित्सा की ही व्यवस्था है तथा विशेष चिकित्सा के लिये लोगों को अजमेर या जयपुर जाना पड़ता है।

यहां तेली रोड पर एक प्राइवेट राज अस्पताल है। यहां पर दो प्राइवेट नर्सिग होम क्रमशः जैन शिशु नर्सिग होम एवं घीदावत नर्सिग होम है। लाडनूं शहर में दो राजकीय सामान्य चिकित्सालय, एक–एक राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय है। इसके अतिरिक्त यहां पर प्राइवेट डिस्पेंसरी एवं कुछ अन्य क्लिनिक भी है। लेकिन लाडनूं शहर में जो राजकीय अस्पताल है उसमें स्थान की कमी है और विशेषज्ञ सुविधाओं का भी अभाव है। नीचे लाडनूं में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विवरण तालिका संख्या–6 में दर्शाया गया है:

तालिका–6

चिकित्सा सुविधाएं लाडनूं–2010

क्र.सं.	चिकित्सालय / क्लिनिक	संख्या	उपलब्ध शैय्या
1.	राजकीय सामान्य चिकित्सालय	2	70
2.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	1	6
3.	अन्य चिकित्सालय	2	75
4.	परिवार कल्याण केन्द्र	1	–
5.	सुखदेव नेत्र चिकित्सालय	1	20
6.	नर्सिंग होम	2	30
7.	आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय	3	–
योग		**12**	**201**

(स्त्रोतः जिला स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर)

2.6(6)स सामाजिक / सांस्कृतिक

लाडनूं में अनेक सांस्कृतिक स्थल हैं जहाँ पर ज्यादातर जैन धर्म के लोगों की अनेक धर्मशालायें एवं मन्दिर स्थित है। आचार्य तुलसी द्वारा स्थापित जैन विश्व भारती संस्थान देश–विदेश में अपनी अलग पहचान बनाये हुए हैं तथा इसका स्वयं का आध्यात्मिक स्वरूप है जहाँ लोग योग, साधना, प्रवचन एवं अध्ययन में लीन रहते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्धेश्य ही साधना एवं जैन संस्कृति को प्रोत्साहन देना है।

2.6(6)द धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

लाडनूं का इतिहास पौराणिक है तथा यहां अनेक ऐतिहासिक धरोहर विद्यमान है। उमर शाहवीर की दरगाह हिजरी संवत् 772 की मानी जाती है। यहां की जामा मस्जिद खिलजी काल में बनवायी गयी थी। शहर के मध्य स्थित बड़ा दिगम्बर जैन मन्दिर अशोक के प्रपौत्र सम्प्रति द्वारा दो शताब्दी ई.पू. में बनवाया गया था। यह मन्दिर जमीन के 10 फीट नीचे है जहाँ भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है। इस मन्दिर का निर्माण कई बार हुआ क्योंकि आक्रमणकारियों द्वारा इसको कई बार ध्वस्त किया गया। यहां के अन्य ऐतिहासिक मन्दिरों में कबूतर खाना, नृरसिंह जी का मन्दिर, शान्तिनाथ मन्दिर, चारभुजा मन्दिर, नीलकण्ठ महादेव, वीर बालाजी, करंट बालाजी

मन्दिर, आचार्य तुलसी स्मारक आदि है। बस स्टैण्ड के पास बीस खम्भों वाली छतरी एवं सुखदेव आश्रम वास्तुकला के अनूठे उद्धरण है।

2.6(6)य अन्य सामुदायिक सुविधाएं

लाडनूं में मनोरंजन के लिये केवल एक सिनेमा हाल है। एक पुराना सिनेमा हाल बन्द पड़ा है। जैन विश्व भारती में एक बड़ा पुस्तकालय है जिसमें प्राचीनकाल एवं आधुनिक युग की सभी पुस्तकें उपलब्ध है। शहर में एक सार्वजनिक वाचनालय तथा पुराने जैन मन्दिर प्रागण में आर्ट गैलरी स्थापित है। इस गैलरी में लाडनूं के आस–पास से प्राप्त मूर्तियाँ एवं स्मारक रखे गये है। यहां पर पी.डब्लू.डी. का डाक बंगला रेलवे लाईन के पूर्व में जसवंतगढ रोड पर स्थित है तथा कई छोटी–छोटी धर्मशालायें भी हैं, परन्तु यहां पर कोई अच्छा होटल नहीं है। लाडनूं में रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ मुख्य डाकघर एवं 3 अन्य छोटे डाकघर शहर के अन्य स्थानों पर स्थित है। यहां पर 4 राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसके अलावा अन्य सामाजिक सुविधाओं की श्रेणी में यहां पर निराश्रित एवं अपाहिज बालगृह एवं धर्मार्थ आश्रम स्टेशन के सामने है।

2.6(6)र जनोपयोगी सुविधाएं

लोगों के पीने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था एवं जल–मल निस्तारण की व्यवस्था नगर के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताए होती हैं जिनका उचित प्रावधान करना सरकार एवं नगरपालिका का दायित्व है।

2.6(6)र(i) जलापूर्ति

लाडनूं में कोई नदी अथवा बड़ा तालाब या झील नहीं है। पेयजल के लिये भू–गर्भ स्त्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहां की जलापूर्ति डीडवाना रोड, निम्बीजोधा रोड एवं मलासी रोड स्थित 25 ट्यूबवेलों द्वारा होती है। जल की सफाई के लिये 2 सी.डब्लू.आर क्रमशः 950 कि.ली. एवं 450 कि.ली. के बनाये गये है। शहर में पीने के पानी की उपलब्ध मात्रा कम है। शहर के उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र में 1 से 2 घंटे जलापूर्ति 36 घंटे के अन्तराल में की जाती है तथा शेष दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्र में 24 घंटे के अन्तराल में की जाती है। पानी में नाइट्रेट एवं लवणता की अधिक मात्रा पायी जाती है। जल विभाग की सूचना के अनुसार पानी में नाइट्रेट की मात्रा 100 मि.ग्रा.

प्रति लीटर है जो निर्धारित स्तर 20 मि.ग्रा./लीटर से बहुत अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। लाडनूं शहर में स्थापित जल वितरण संयत्र से समीप के 80 गाँवों को भी यहां से पानी दिया जाता है।

पानी के वितरण के लिये उच्च जलाशय बनाये गये है। औसतन प्रतिदिन 4600 कि.ली. पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार औसत जलापूर्ति करीब 65 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। लाडनूं में करीब 9620 जल कनेक्शन है। नीचे लाडनूं की जलापूर्ति का विवरण तालिका संख्या–7 में दर्शाया गया हैः

तालिका–7

जलापूर्ति कनेक्शन लाडनूं–2010

क्र.सं.	मद	कनेक्शनों की संख्या	प्रतिमाह उपयोग (कि.ली.)
1.	आवासीय	9405	1,13,000
2.	वाणिज्यिक	145	7000
3.	औद्योगिक	5	500
4.	अन्य	65	12,500
योग		**9620**	**1,33,000**

(स्त्रोतः सहायक अभियन्ता कार्यालय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

2.6(6)र(ii) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन

वर्तमान में लाडनूं शहर में कोई सीवरेज व्यवस्था नहीं है। घरों में सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है। शहर में गन्दे पानी की निकासी के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है, विश्व भारती गेट के बाहर, सुखदेव आश्रम, राहू गेट, बस स्टैण्ड, मंगलम अस्पताल के पीछे, रेलवे स्टेशन के बाहर तथा अन्य जगहों पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, तथा जगह–जगह पानी सड़कों पर ही बहता रहता है। यद्यपि प्रमुख सड़कों पर खुली नालियाँ जल निकास के लिये बनी हुई है लेकिन कई कॉलोनियों में गन्दा पानी सड़क पर फैलकर गन्दगी पैदा करता है।

लाडनूं में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और घर–घर कचरा एकत्रित करने की भी व्यवस्था नहीं है। लोग घर के बाहर गलियों में ही कचरा डाल देते है।

कचरे के पात्र भी नहीं है तथा सड़कों के किनारे खुली जगहों पर कचरे का ढेर लगा रहता है। मुख्य बाजारों में सफाई कर्मचारी दिन में एक बार सफाई का कार्य करते है परन्तु बाहरी क्षेत्रों में कई दिनों के अन्तराल के बाद सड़क की सफाई की जाती है। शहर में कचरा निस्तारण के लिये कोई उचित स्थल विकसित नहीं किया गया है। अधिकांश कचरा शहर के समीप गड्ढों में ड़ाला जाता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है।

2.6(6)र(iii) विद्युत

शहर को विद्युत आपूर्ति सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से होती है। यहां पर 33 KV एवं 132 KV के विद्युत ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं। बिजली की कमी सदैव बनी रहती है तथा शहर में 2 से 4 घंटे प्रतिदिन बिजली की कटौती होना सामान्य बात है। सड़कों एवं गलियों में रोशनी की व्यवस्था ठीक नही है। दक्षिण दिशा में विकसित बस्तियों में भी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। तालिका संख्या–8 में लाडनूं शहर की वर्तमान विद्युत उपभोग की स्थिति को दर्शाया गया हैः

तालिका–8

विद्युत कनेक्शन एवं उपभोग लाडनूं–2010

क्र.सं.	मद	कनेक्शन संख्या	प्रतिदिन उपभोग KV
1.	आवासीय	11,678	7,188
2.	वाणिज्यिक एवं गैर आवासीय	1,431	4,440
3.	आवासीय सार्वजनिक प्रकाश	25	1,184
4.	औद्योगिक	301	1,902
5.	अन्य	515	293
योग		**13,950**	**15,007**

(स्त्रोतः सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम, लाडनूं)

2.6(6)ल श्मशान एवं कब्रिस्तान

लाडनूं शहर में मुख्य श्मशान बस स्टैण्ड से कंरट के बालाजी रोड पर स्थित है जो व्यवस्थित रूप से है अन्य श्मशान छोटे है जो सुनारी रोड एवं कुछ कॉलोनियों

में स्थित है। यहां पर कब्रिस्तानों की संख्या अधिक है जो शहर के आन्तरिक भागों में भी बिखरे रूप से है। मगरा कॉलोनी सड़क पर एक बड़ा कब्रिस्तान एवं दरगाह है। एक अन्य कब्रिस्तान बस स्टैण्ड के पीछे स्थित है जो शहर के मध्य में है। एक बड़ा कब्रिस्तान शहर के उत्तर पश्चिम में भट्टा कालोनी के पास है। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे कब्रिस्तान भी शहर के अन्दर स्थित है।

2.6(7) परिसंचरण

2.6(7)अ यातायात व्यवस्था

लाडनूं शहर दिल्ली–रतनगढ–जोधपुर ब्राडगेज लाइन पर स्थित है। इस प्रकार दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर आदि शहरों से इसका रेल सम्पर्क स्थापित है। कई महत्वपूर्ण रेलगाडियां इस मार्ग से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 (नागौर–सुजानगढ़) यहां से होकर जाता है। इसके अतिरिक्त यहां से नवनिर्मित किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे भी गुजरता है। इनके लाडनूं देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। डीडवाना–लाडनूं–सुजानगढ़ की पूर्व की सड़क शहर के बीच से होकर जाती है। यह सड़क बाईपास जंक्शन से हॉस्पिटल रोड के चौराहा तक 25 से 30 मीटर चौड़ी है परन्तु उसके बाद बस स्टैण्ड एवं गांधी चौक तक इसकी चौड़ाई 8 मीटर से 15 मीटर के बीच हो जाती है।

गांधी चौक से जौहरी विद्यालय होते हुए स्टेशन जाने वाली सड़क 12 मीटर से 20 मीटर चौड़ी है। तेली रोड, जिसके दोनों तरफ दुकानें एवं वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित है इसकी चौड़ाई गांधी चौक के पास 12 मीटर परन्तु बाद में 15 से 20 मीटर तक है। गौशाला–अस्पताल रोड की चौड़ाई 15 से 18 मीटर तक है। वर्तमान में जैन विश्व भारती के लिये दो मार्ग है। एक मार्ग बस स्टैण्ड से निकलकर अस्पताल के पास आकर मिलता है। यह मार्ग बहुत घुमावदार एवं संकरा है तथा इसमें कुछ सड़कों की चौड़ाई 5 मीटर से भी कम हो जाती है। जिससे एक साथ वाहनों का निकलना बहुत कठित हो जाता है। दूसरा मार्ग स्टेशन के उत्तर में शिव मन्दिर की ओर जाता है। इसकी चौड़ाई 15 मीटर से 20 मीटर के बीच है। शिव मन्दिर से आगे पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से भी कम है। मंगलम अस्पताल के पास इसकी चौड़ाई मात्र 3 मीटर ही हैं। पहली पट्टी की सड़क जो जैन विश्व भारती–मंगलम अस्पताल–काली जी का चौक होते हुए गांधी चौक तक

जाती है उसकी चौड़ाई 6 से 12 मीटर के बीच है। सेवक चौक से गांधी चौक की रोड मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों का क्षेत्र है परन्तु इसकी चौड़ाई 8 से 12 मीटर के बीच ही है। स्टेशन के सामने सड़क की चौडाई 25 से 30 मीटर है तथा उत्तर एवं दक्षिण में भी यह सड़क काफी चौड़ी है। इस पर निर्माण भी अधिक नहीं हुए है। इस सड़क से डीडवाना–हनुमानगढ का यातायात बिना रेलवे लाइन पार किये सुगमता से संचालितत होता है।

मेगा हाईवे का मार्गाधिकार 45 से 50 मीटर है। इसका निर्माण अभी हुआ है तथा इस पर अभी अवरोधक निर्माण नहीं हुए हैं। वर्तमान में यह सड़क दो स्थानों से रेलवे लाईन को पार करती है, जिससे यातायात अवरूद्ध होता है। शहर की अन्य सड़कें सीधी गलियों के रूप में बनी हुई है, इनकी चौड़ाई 8 से 12 मीटर तक की ही है। पुराने शहर के अन्दर सड़कें अव्यवस्थित रूप से बनी हुई है तथा इनकी चौड़ाई भी 3 से 8 मीटर तक है। हनुमान गेट से गांधी चौक की सड़क भी 6 से 15 मीटर के बीच है।

2.6(7)ब बस एवं ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में लाडनूं का बस–अड्डा शहर के व्यस्त क्षेत्र में सुखदेव आश्रम के पास स्थित है, जिसके कारण आश्रम के सामने एवं 20 खम्भों की छतरी का सम्पूर्ण क्षेत्र अव्यवस्थित यातायात से प्रभावित है। बस टेम्पों, रिक्शा व ठेले आवागमन में बाधक बने हुए है। लाडनूं, जोधपुर–दिल्ली मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां संचालित होने वाली बसों की संख्या अत्यधिक है। यहां से नागौर की ओर प्रतिदिन 56 बस संचालित होती है। डीडवाना –किशनगढ़ मार्ग पर प्रतिदिन करीब 85 बस जाती है। सुजानगढ़–सालासर –सीकर मार्ग पर 54 बसें एवं लाडनूं–सरदारशहर–हनुमानगढ़ मार्ग पर 48 बसों का संचालन होता है। इन बसों के ठहराव की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

लाडनूं में कोई नियोजित ट्रक स्टैण्ड नहीं होने के कारण ट्रक शहर के मुख्य मार्गो पर खड़े रहते है। शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र गांधी चौक से बस स्टैण्ड एवं नागौर और किशनगढ़ रोड तथा स्टेशन रोड होने के कारण इन सड़कों पर भारी वाहनों का आवागमन व ठहराव भी होता है। लाडनूं में प्रतिदिन बाहर से आने जाने वाले वाहनों का विवरण नीचे तालिका संख्या–9 में दर्शाया गया है:

तालिका–9

प्रतिदिन आने वाले वाहनों का विवरण लाडनूं–2010

क्र.सं.	वाहन प्रकार	डीडवाना की तरफ से लाडनूं की ओर	सुजानगढ़–रतनगढ़ की ओर से
1.	ट्रैक्टर	34	34
2.	कार, जीप	431	398
3.	लोडिंग टेम्पो एवं अन्य हल्के वाहन	22	19
4.	बस	98	153
5.	ट्रक	504	310
योग		**1089**	**913**

(स्त्रोतः टोल नाका एवं सर्वेक्षण)

2.6(7)स रेल सेवा

लाडनूं रेलवे स्टेशन शहर के पूर्व दिशा में स्थित है। यहां पर पहले छोटी रेल लाइन थी जिसको अब ब्रोडगेज रेलवे लाइन में परिवर्तन किया जा चुका है। यहां से दिल्ली–जोधपुर को जाने वाली यात्री गाड़ियों का ठहराव होता है। पुराने रेलवे स्टेशन का भी सुधार कार्य किया जा रहा है। रेलवे के दोनों ओर पर्याप्त भूमि रिक्त है जिस पर शेड आदि का निर्माण किया जा सकता है।

लाडनूं में हवाई अड्डा नहीं है। हवाई यात्रा के लिये लोगों को जयपुर जाना पड़ता है।

नियोजन की संकल्पना 3

भू–उपयोग योजना, नगर नियोजन की वह संकल्पना है जो शहर की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके भावी आकार, स्वरूप, आकृति एवं विकास की तस्वीर प्रस्तुत करती है। सर्वोत्तम नियोजन वह है जो वर्तमान को समायोजित करते हुए भविष्य में शहर के विकास हेतु उचित मार्गदर्शन एवं नीतिगत आलेख प्रस्तुत करे, ताकि नगर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप विकृत न हो और भविष्य के विकास को भी गति प्रदान हो सके।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मास्टर प्लान में पूरे शहर के बारे में अध्ययन कर उसके सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास के बारे में उचित सुझाव दिये जाते है। इसका मुख्य उद्धेश्य शहर के आर्थिक विकास को गति एवं निवासियों को स्वस्थ नगरीय जीवन प्रदान करना है। अतः इसके अन्तर्गत वर्तमान समस्याओं के निराकरण के साथ ही भविष्य की शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित प्रस्ताव दिये जाते है। इस प्रकार मास्टर प्लान, भविष्य में नगर के विकास कार्यो के लिये मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।

उपरोक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि भू–उपयोग योजना मास्टर प्लान का सबसे प्रमुख दस्तावेज है। मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज भू–उपयोग योजना के अनुक्रम में भू–उपयोग योजना को आधार मानते हुए ही तैयार किये जाते है। इस दृष्टिकोण से भू–उपयोग योजना अन्य सभी नगरीय योजनाओं की संरचना को निर्देशित करता है अतः भू–उपयोग योजना तैयार करते समय अनेक विषय वस्तुओं जैसे– परिसंचरण, जल एवं सीवरेज व्यवस्था, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव एवं बेहतर जिन्दगी के प्रमुख वैचारिक उद्धेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनके सामांजस्य से तैयार किया जाता है ताकि जब मास्टर प्लान पर आधारित अन्य नगरीय योजनाओं को तैयार किया जाए तब उनके उद्धेश्यों के बीच टकराव न हो एवं भू–उपयोग योजना का क्रियान्वयन बगैर किसी कठिनाई के सुगमता पूर्वक किया जा सके।

लाडनूं का मास्टर प्लान उपरोक्त वैचारिक परिदृष्य एवं अगले बीस वर्ष (2010–2031) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

लाडनूं का मास्टर प्लान यहां के नागरिकों की आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ समय–समय पर निरन्तर विचार–विमर्श कर उनके सहयोग से तैयार किया गया है। यह दस्तावेज आने वाले 20 वर्षो (2010–2031) में व्यक्तियों, समूहों एवं सरकार द्वारा शहरी विकास के संदर्भ में लिये जाने वाले निर्णयों बाबत मानक स्तर एवं मार्ग प्रदर्शित करेगा।

यह योजना इस शहर के नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं स्वप्नों की जमीनी रूपरेखा है। आशा की जाती है कि मास्टर प्लान की स्वीकृति के साथ ही लाडनूं में निवेश का माहौल बनेगा, जिसके चलते शहर में सुव्यवस्थित विकास के साथ–साथ अनके नयी सुविधाएं, व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर स्थानीय जनता के लिये उपलब्ध हो सकेंगे।

मास्टर प्लान दस्तावेज के अन्तर्गत मास्टर प्लान में वर्णित विभिन्न प्रस्तावों के बाबत एक लिखित रिपोर्ट एवं वर्तमान तथा भविष्य की भू–उपयोग योजनाओं की रूपरेखा को दर्शाते हुए मानचित्र में प्रमुख रूप से सम्मिलित किये गये है।

3.1 नियोजन की नीतियां

उपरोक्त वैचारिक पृष्ठभूमि के चलते लाडनूं शहर का मास्टर प्लान बनाने से पूर्व लाडनूं शहर की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उनके जनित अवसरों एवं उनके द्वारा रेखांकित सीमाओं को समझा गया। इस प्रक्रिया के निष्कर्षो एवं आने वाले 20 वर्षो की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में लाडनूं शहर की भू–उपयोग योजना तैयार करने के लिये लाडनूं शहर के निवासियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर उनके सहयोग से निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त तय किये गये:

- **क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में भूमिका**

क्षेत्रीय स्तर पर लाडनूं शहर की भूमिका द्विस्तरीय रहेगी। (i) वर्तमान में लाडनूं प्रशासनिक स्तर पर एक द्वितीय श्रेणी का शहर है तथा प्रशासनिक दृष्टि से भविष्य में भी यह भूमिका बनी रहेगी। परन्तु (ii) मात्र 12 किलोमीटर की दूरी के अन्दर (अ) जसवंतगढ़ (ब) एवं सुजानगढ़ जैसे 2 अरबन नोड होने के कारण **"लाडनूं–जसवंतगढ़–सुजानगढ़"** क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में एक एकल प्रथम श्रेणी के शहर के रूप में कार्य करेगा एवं तदानुसार क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका एवं प्रभाव क्षेत्र

रहेगा। अतः लाडनूं शहर के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय इस तथ्य को दृष्टिगत रखना अपेक्षित होगा।

- **विकास उत्प्रेरक तत्व**

अध्ययन के आधार पर निम्न तत्वों को शहर के विकास उत्प्रेरक तत्वों के रूप में चिन्हित किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया कि शहर के विकास को इन तत्वों के इर्द–गिर्द ही बुना जायेगाः

– आध्यात्मिक शिक्षा आधारित विकास
– कुटीर उद्योग आधारित विकास
– पर्यटन उद्योग आधारित विकास
– कृषि उद्योग आधारित विकास

- **पर्यावरण संरक्षण तत्व**

पर्यावरण विषय पर चल रहे वैश्विक बहस पर आधारित निष्कर्षों के चलते लाडनूं शहर के पर्यावण के संरक्षण बाबत निम्न तत्व चिन्हित किये गयेः

– कम से कम भूमि का शहरीकरण के लिये उपयोग किया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि अपने प्राकृतिक स्वरूप में बनी रहे। इस बाबत शहरी आबादी के घनत्व स्तर को बढ़ाया जायेगा।
– वन एवं प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाना। यदि इन क्षेत्रों के लिये कोई प्रस्ताव किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्ताव प्राकृतिक तत्वों से तालमेल रखता हो एवं प्राकृतिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचता हो।
– जलग्रहण क्षेत्र को शहरीकरण के प्रस्ताव से मुक्त रखा जायेगा।
– शहरी क्षेत्र के लिये जल संग्रहण योजना तैयार की जायेगी।
– भू–उपयोग के सभी प्रस्ताव भौगोलिक संरचना के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रस्तावित किये जायेंगे।

– किसी भी शहर में पर्यावरण पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव वाहनों से उत्पन्न होने वाली कार्बन मोनौक्साईड गैसों से पड़ता है। अतः लाडनूं शहर की परिवहन व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आधारित विकसित की जायेगी, ताकि मोटर गाड़ियों के उपयोग की आवश्यकता को कम किया जा सके।

साथ ही भू–उपयोग प्रस्तावों का आपस में एवं परिवहन व्यवस्था के साथ इस तरह सामंजस्य बिठाया जायेगा जिससे अधिकांश शहरी सुविधाएं पैदल पहुँच के अन्दर हो।

– शहर के लिये सीवरेज, ड्रेनेज एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी तथा शहर के समस्त क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लिया जायेगा ताकि शहरी जीवन के दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान न हो।

- **सर्वजन समावेशी विकास**

शहर के अन्दर प्रस्तावित सभी सुविधाओं (सामाजिक एवं भौतिक संरचना) की वितरण व्यवस्था इस तरह से तैयार की जायेगी कि शहर के सभी आर्थिक वर्ग के नागरिकों को सभी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध हो सके।

- **भौतिक जीवन सुधार**

नागरिकों के लिये स्वस्थ्य जीवन यापन की स्थितियां सुनिश्चित करने के लिये जहां उपयुक्त सामाजिक एवं भौतिक सुविधाएं प्रदान की जायेगी, वहीं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भिन्न–भिन्न भू–उपयोगों के बीच दूरी बनी रहे ताकि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले भू–उपयोगों के होते हुए भी नागरिकों का जीवन सुरक्षित बना रहे। इस तरह की दूरी सुनिश्चित करने के लिये यदि आवश्यक हो तो विपरित भू–उपयोगों के बीच हरित पट्टी का प्रावधान किया जायेगा।

- **विरासत संरक्षण**

अध्ययन के आधार पर पाया गया कि लाडनूं शहर एवं इसके प्रभाव क्षेत्र में अनेक भवन एवं नैसर्गिक महत्व के स्थल स्थित है अतः यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के सभी चिन्हित क्षेत्रों का संरक्षण एवं पुर्नउद्धार की योजना तैयार की जायेगी।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

• आवासीय उपयोग

– आवासीय योजना की संरचना को डी.एन.ए./मोलीक्यूलर आधार पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस संरचना में मौहल्ले को डी.एन.ए./मोलीक्यूल के समकक्ष रखा जायेगा।

– विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के लिये आवासीय घनत्व क्षेत्र में वर्तमान भूमि की किस्म, मूल्य एवं कार्य स्थल की समीपता को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

– विभिन्न आवासीय क्षेत्र में विकास के स्वरूप, यथा स्वतंत्र भू–खण्ड, ग्रुप हाऊसिंग आदि पर ध्यान दिया जायेगा।

– शहर को कच्ची बस्तियों से मुक्त बनाने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव दिये जायेंगे इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा 2009–10 में जारी Affordable Housing नीति का अनुसरण किया जायेगा।

• वाणिज्यिक उपयोग

– वाणिज्यिक योजनाएं ट्रांसपोर्ट के आस–पास विकसित की जायेगी।

– आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्धेश्य से स्थानीय बाजार, सामुदायिक केन्द्र और जिला केन्द्र, या सेक्टर बाजार प्रस्तावित किये जायेंगे।

– थोक बाजार यथा सम्भव मुख्य सड़कों पर ही प्रस्तावित किये जायेंगे।

– भण्ड़ारण स्थल एवं औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, ट्रक स्टैण्ड आदि को ध्यान में रखते हुए मुख्य सड़कों पर प्रस्तावित किये जायेंगे।

– पूर्णतः वाणिज्यिक उपयोग के साथ–साथ आवश्यकतानुसार मिश्रित भू–उपयोग भी प्रस्तावित किये जायेंगे।

• औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र का निर्धारण, वायु दिशा एवं उद्योगों के लिये कच्चे माल के आगमन क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर किया जायेगा। यथासम्भव औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख सड़कों पर ही प्रस्तावित किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र तीन भागों में विभाजित होंगे:

– बड़े उद्योग स्थल।

– लघु एवं मध्यम उद्योग स्थल।

– खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र।

- **सरकारी कार्यालय**

भविष्य में आने वाले सरकारी कार्यालयों के लिये विशेष क्षेत्र प्रस्तावित किये जायेंगे जिसमें आवासीय क्षेत्रों से सम्बद्धता का ध्यान रखा जायेगा। ऐसे कार्यालय क्षेत्र भी प्रमुख सड़कों पर प्रस्तावित होंगे।

- **जन सुविधाएं**

वर्ष 2031 की जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं को प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में प्रस्तावित किया जायेगा। मुख्य जन सुविधाएं निम्न प्रकार से होगी।

- **शैक्षणिक सुविधाएं**

इसके अन्तर्गत शहरी स्तर पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य प्रमुख शैक्षणिक तथा शोध संस्थान प्रस्तावित किये जायेंगे, जबकि जोनल योजना स्तर पर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक एवं नर्सरी स्तर के शिक्षण संस्थान प्रस्तावित किये जायेंगे।

- **चिकित्सा सुविधाएं**

इसके अन्तर्गत चिकित्सालय, औषद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, विशेष चिकित्सालय आदि प्रस्तावित किये जायेंगे।

- **मनोरंजन सुविधाएं**

मनोरजन सुविधाएं श्रृंखलाबद्ध रूप से विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित की जायेगी, जैसे– क्षेत्रीय पार्क, सेक्टर पार्क एवं स्थानीय पार्क, स्टेडियम, खेल के मैदान, मेला मैदान, पर्यटन सुविधाएं इत्यादि।

सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं स्थलों के समीप की भूमि को भी उपलब्धता के अनुसार विकसित किया जायेगा।

- **अन्य सामुदायिक सुविधाएं**

जैसे– पम्प हाउस, दूरभाष केन्द्र, पुलिस थाना, डाक घर आदि को भी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित किये जायेंगे।

- **अन्य भूमि उपयोग**

उपरोक्त भू–उपयोगों के अतिरिक्त अन्य भू–उपयोग जैसे– नर्सरी, उद्यान, डेयरी, वृक्षारोपण, वन, उपजाऊ कृषि भूमि, जलाशय आदि भू–उपयोग योजना में दर्शाया जायेगा।

भावी आकार 4

4.1 जनांकिकी

लाडनूं शहर की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1951 में यहां की जनसंख्या केवल 20,914 थी जो वर्ष 2001 में 57,070 हो गयी। विगत तीन दशकों (1971–2001) में औसत वृद्धि दर 26.5 प्रतिशत प्रतिदशक थी। वृद्धि दर (1971–1981) में 27.44 प्रतिशत, (1981–91) में 34 प्रतिशत एवं (1991–2001) में 18 प्रतिशत थी। पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कम रहने का कारण यहां पर इस अवधि में कोई विशेष आर्थिक गतिविधियां नही होना रहा है। परन्तु वर्तमान में मेगा हाईवे आने के कारण शहर के विकास को नयी दिशा प्रदान हुई है।

लाडनूं एक विकासशील शहर है तथा भविष्य में भी इसके विकास की प्रबल सम्भावनाएं बनी हुई है। यहां पर कृषि उपज मंड़ी की स्थापना के प्रयास चल रहे है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की और विस्तार करने की योजना है। मेगा हाईवे आने के कारण यहां पर क्षेत्रीय यातायात काफी सुगम हो गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि लाडनूं पिछले तीन दशकों की वृद्धि दर को बनाये रखेगा। शहर के नियोजित विकास के कारण बाहर से भी लोग आकर्षित होंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि लाडनूं शहर की जनसंख्या पूर्व दशक के प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर (28.41 प्रतिशत) के करीब होगी, जो शहर के पिछले तीन दशकों (1971–2001) की वृद्धि दर (26.51 प्रतिशत) के करीब है। जनसंख्या का विभिन्न सांख्यिकीय पद्धतियों द्वारा किये गये आंकलन का विवरण तालिका संख्या–10 में दर्शाया गया है :

तालिका–10

लाडनूं शहर की जनसंख्या का आंकलन (2001–2031)

क्र. सं.	आंकलन विधि	जनसंख्या			
		2001	2011	2021	2031
1.	ज्यॉमितिक वृद्धि दर (Geometric Growth Rate)	57,070	71,780	90,300	1,15,000
2.	ऐक्सपोनैनशल कर्व (Exponential Curve)	57,070	74,570	94,810	1,20,570
3.	ग्रोथ कर्व (Growth curve)	57,070	74,570	94,000	1,17,000
4.	कम्पोनेन्ट विधि (Component Method)	57,070	73,280	94,100	1,20,450

उक्त अनुमानों के अनुसार लाडनूं शहर की जनसंख्या वर्ष 2031 तक 1,20,000 के लगभग हो जायेगी। वर्ष 2010 में यहां की जनसंख्या लगभग 70,000 है। इस प्रकार मास्टर प्लान के आगामी 21 वर्षो में करीब 50,000 अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि का अनुमान है।

4.2 वाणिज्यिक संरचना

लाडनूं शहर के क्षितिज वर्ष की वाणिज्यिक संरचना का आंकलन विगत प्रवृतियों एवं भविष्य में यहां पर अपेक्षित आर्थिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं अन्य विकास कार्यो के संदर्भ में किया गया है। लाडनूं शहर में कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत वर्ष 1971 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 20.8 प्रतिशत था जो क्रमशः वर्ष 1981 में 21.9 प्रतिशत, 1991 में 23.6 प्रतिशत एवं वर्ष 2001 में 26.6 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार विगत 30 वर्षो में कार्यशील जनंसख्या वर्ष 1971 में 5,891 से बढ़कर वर्ष 2001 में 15,194 हो गयी। उपरोक्त आंकड़ों के दृष्टिगत लाडनूं शहर में कार्यशील जनंसख्या वर्ष 2031 तक 37,200 हो जाने का अनुमान है जो कुल जनसंख्या का 31 प्रतिशत होगा।

क्षितिज वर्ष 2031 में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों में काम करने वाले व्यक्तियों का आंकलन विगत वर्षो के आंकड़ों एवं भविष्य में यहां पर होने वाले विकास कार्यो के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। लाडनूं एक वाणिज्यिक नगर रहा है। वर्ष 1991 में यहां की कार्यशील जनसंख्या का 23.4 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत थे। भविष्य में यहां पर कृषि उपज मंडी एवं फल मंड़ी के स्थापित होने की सम्भावना है। लाडनूं में घरेलू उद्योग के रूप में कपड़े की रंगाई एवं छपाई का काम प्रसिद्ध है। ऐसी आशा है कि भविष्य में भी इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। आस–पास के क्षेत्र में पत्थर की खदानें होने के कारण पत्थर की कारीगरी के कार्य में वृद्धि की सम्भावना है। रीको द्वारा नियोजित औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी सम्भावित है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लाडनूं शहर की वर्ष 2031 की वाणिज्यिक संरचना को तालिका संख्या–11 में दर्शाया गया हैः

तालिका–11

वाणिज्यिक संरचना लाडनूं – 2031

क्र.सं.	व्यवसाय	काम करने वालों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि, खनन एवं सहायक गतिविधियाँ	2976	8.00
2.	उद्योग	7440	20.00
3.	निर्माण	5208	14.00
4.	व्यापार व वाणिज्य	9114	24.50
5.	परिवहन	2790	7.50
6.	अन्य सेवाएँ	9672	26.00
योग		**37,200**	**100.00**

(स्त्रोतः सम्बन्धित विभाग)

4.3 नगरीय क्षेत्र

लाडनूं का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के सपठित धारा 2 की उपधारा (1) की बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत 7 राजस्व ग्रामों को लाडनूं के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 74 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित ग्रामों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गयी है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

क्षितिज वर्ष 2031 में लाडनूं शहर की जनंसख्या 1,20,000 हो जाने का अनुमान है, अतः मास्टर प्लान के क्षितिज तक 50,000 अतिरिक्त जनसंख्या एवं शहरीकरण हेतु 1145.50 हैक्टेयर भूमि विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिये वर्तमान सुविधाओं की कमी के लिये भी भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक की बढ़ी हुई आबादी एवं वर्तमान कमी को दूर करने के लिये कुल 613 हैक्टेयर अतिरिक्त शहरीकरण क्षेत्र की आवश्यकता होगी। शहर का वर्तमान विकसित शहरी क्षेत्र करीब 532.50 हैक्टेयर है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक कुल प्रस्तावित विकसित शहरी क्षेत्र 1145.50 हैक्टेयर के लगभग हो जायेगा। कृषि फार्म, गौशाला, जलाशय आदि क्षेत्रों को शामिल करने पर कुल नगरीकरण क्षेत्र 1236 हैक्टेयर का होगा।

लाडनूं शहर का अधिकतर विस्तार डीडवाना–सुजानगढ़ रोड के साथ हो रहा है। उत्तर दिशा में जैन विश्व भारती संस्थान की स्थापना के कारण इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। शहर के पश्चिम एवं दक्षिण–पूर्व में पत्थर की खुदाई के कारण जमीन विकास के लिये उपयुक्त नही है अतः इस दिशा में विकास कम हुआ है। मेगा हाईवे के निर्माण के कारण अब इसके समीप के क्षेत्र में शहरी निर्माण अधिक हो रहे है। विकास की एक अन्य दिशा लाडनूं–जसवंतगढ़ सड़क है, जहाँ पर कई सरकारी कार्यालय स्थापित है।

भविष्य में लाडनूं शहर का मुख्य विकास मेगा हाईवे के समीप के क्षेत्रों में ही अधिक होने की सम्भावना है। वर्तमान में भी इसी क्षेत्र में तीव्र गति से निर्माण हो रहा है। वर्तमान विकसित शहरी क्षेत्र किशनगढ़ रोड के दोनों ओर केन्द्रित है। दक्षिण पश्चिम में भी जायल रोड के साथ विकास होने की सम्भावना है। अन्य सम्भावित शहरीकरण योग्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व में मेगा हाईवे एवं शहर के बीच की रिक्त भूमि तथा मेगा हाईवे के दक्षिण पूर्व का भाग है। जसवंतगढ़ सड़क पर कुछ सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, परन्तु इसके बाद जसवंतगढ़ का बड़ा मेला क्षेत्र है जो इस तरफ के शहरी विकास को सीमित करता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर लाडनूं शहर के लिये मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 तक 1236 हैक्टेयर भूमि का नगरीय उपयोग के लिये निम्न अनुसार चयन किया गया है। लाडनूं के उत्तर में विकास की सम्भावना बहुत कम है, क्योकि इधर कोई कार्यस्थल या आर्थिक विकास केन्द्र नही है। इस ओर भविष्य में विकास के लिये कोई प्रस्ताव नहीं दिये गये।

शहर के पूर्व दिशा में विकास की अधिक सम्भावना है। पूर्वोत्तर भाग में किशनगढ़–हनुमानगढ़ मेगा हाईवे लाडनूं को सुजानगढ़ एवं अन्य शहरों से जोड़ता है। इसी तरफ तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय भी स्थित हैं। इस सड़क के साथ विकास होना सम्भावित है। लाडनूं के पूर्व दिशा में ही मेगा हाईवे का बाईपास बना है। इसके बीच का क्षेत्र अभी भी रिक्त है। अभी मेगा हाईवे के साथ शहरी विकास हो रहा है जो भविष्य में भी होगा।

शहर के दक्षिण में डीडवाना रोड के साथ का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इस दिशा में हाईवे के साथ ही विकास होगा। दक्षिण में मंगलपुरा तक सड़क के साथ आबादी बसी हुई है। इस तरफ मंगलपुरा तक का क्षेत्र शहरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत

शामिल किया जाना वांछित है। शहर के पश्चिमी भाग में विकास की सम्भावनाएं नहीं हैं क्योंकि इस दिशा में कोई आर्थिक या अन्य कार्य स्थल नहीं है। दक्षिण पश्चिम में जायल रोड के साथ भी शहरी विकास अपेक्षित है। इस प्रकार सम्भावित शहरीकरण क्षेत्र का अधिकतर भाग लाडनूं नगरपालिका सीमा तक ही हो सकेगा, जो काफी बड़ा है।

4.5 योजना क्षेत्र

शहर की विद्यमान विशेषताओं, आर्थिक क्रियाकलापों, भौतिक कारकों एवं अन्य परिस्थितियों को घ्यान में रखते हुए लाडनूं शहरी क्षेत्र को 4 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना क्षेत्र आवास, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के लिये आत्मनिर्भर होंगे। शहर के विकास के लिये भविष्य में इन योजना क्षेत्रों की विस्तृत योजनाएं बनायी जायेगी। इन योजना क्षेत्रों का विवरण तालिका संख्या–12 में दर्शाया गया है:

तालिका–12

योजना क्षेत्र लाडनूं–2031

क्र.सं.	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
अ.	पुराना शहर क्षेत्र	485
ब.	पश्चिमी क्षेत्र	381
स.	दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र	370
कुल नगरीयकरण क्षेत्र		**1236**
द.	परिधि नियंत्रण क्षेत्र	6174
कुल प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र		**7395**

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र 2031 के मानचित्र में दर्शाया गया है।

अ. पुराना शहर क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में तेली रोड के उत्तर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। पश्चिम में इस क्षेत्र की सीमा मकराना रोड के साथ बस स्टैण्ड रोड से

निर्धारित होती है। इस क्षेत्र में सम्पूर्ण पुराना शहर, विश्व भारती विश्व विद्यालय का क्षेत्र, आठ पट्टियों का क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इस क्षेत्र में ही प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियाँ केन्द्रित है। भविष्य में भी यह शहर का मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र बना रहेगा। इसी क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रस्तावित किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 485 हैक्टेयर होगा।

ब. पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में किशनगढ़ एवं नागौर रोड के पश्चिम का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 381 हैक्टेयर के करीब होगा। इस क्षेत्र में वर्तमान में मंगरा कालोनी ही बड़ी बस्ती है। भविष्य में इस क्षेत्र में विकास की सम्भावना है क्योंकि यह अजमेर रोड, नागौर एवं मकराना तीनों सड़कों के बीच है। यहां पर वाणिज्यिक एवं अन्य गतिविधियों के आने से यह क्षेत्र अधिक विकसित होगा।

स. दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र

तेली रोड के दक्षिण का सम्पूर्ण क्षेत्र इस क्षेत्र के अन्दर सम्मिलित होगा। बाईपास रोड के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में तीव्र विकास हो रहा है। भविष्य में भी इस क्षेत्र का विकास होगा इसका कुल क्षेत्रफल 370 हैक्टेयर के लगभग होगा। इसी क्षेत्र में भविष्य में प्रस्तावित चिकित्सालय, महाविद्यालय, सार्वजनिक उपयोग, ट्रक स्टैण्ड आदि प्रस्तावित है। रेलवे स्टेशन के उस तरफ का क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित होगा क्योंकि मेगा हाईवे बन जाने के कारण यह क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है।

द. परिद्यि नियंत्रण क्षेत्र

शहर के भावी नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियंत्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के उद्धेश्य से परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर का सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित होगा। इस क्षेत्र में कृष्रि, मुर्गी पालन, डेयरी, गौशाला, पौधशाला, वृक्षारोपण, रिसोर्ट, फार्म हाउस, बाग–बगीचे आदि विकसित किये जा सकेंगे। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विस्तार के लिये उचित योजना बनाई जायेगी। भविष्य में जन सुविधाओं के स्थान चयन भी तकनीकी राय एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार ही किया जा सकेगा।

भू–उपयोग योजना 5

लाडनूं शहर के मास्टर प्लान के लिये आधारभूत सूचनाएं विभिन्न भौतिक, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एवं अध्ययन तथा विकास प्रवृति, दिशा एवं वृद्धि दर, आर्थिक संरचना, सड़क यातायात एवं भूमि उपलब्धता आदि का विस्तृत अध्ययन को आधार मानकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उक्त अध्ययन मास्टर प्लान को आधारभूत ढांचा प्रदान करते है। जिन मानदण्ड़ों के आधार पर प्लान तैयार किया गया है, उनको शहर के भावी विकास के सन्दर्भ में मूल्यांकित किया गया है। प्रस्तावित विकास, प्रस्तावित सामान्य भू–उपयोग प्लान में उद्धरित है। प्लान के लिये आधार वर्ष 2010 एवं क्षितिज वर्ष 2031 है। लाडनूं शहर की प्रस्तावित भू–उपयोग योजना सम्पूर्ण शहरी समस्याओं का उचित निवारण करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्लान का उद्धेश्य लाडनूं शहर के अधिसूचित शहरी क्षेत्र में संतुलित एवं एकीकृत रूप से विकसित किया जाना है, साथ ही नगर की भावी विकास वृद्धि की दिशा निर्धारित करता है। इसके लिये शहरवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष 2031 के लिये प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु कुल 1145.50 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें से आवासीय प्रयोजनार्थ 562 हैक्टेयर क्षेत्र रखा गयाा है, जो कि कुल प्रस्तावित विकसित क्षेत्र का 49.00 प्रतिशत है, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र 7.20 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र 2.20 प्रतिशत, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी 0.7 प्रतिशत, आमोद–प्रमोद 14.00, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु 14.40 प्रतिशत क्षेत्र तथा परिसंचरण उपयोग हेतु 12.50 प्रतिशत क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है।

कृषि, गौशाला, खनिज क्षेत्र वृक्षारोपण व जलाशय क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 1236 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण तालिका संख्या–13 में दर्शाया गया हैः

तालिका–13

प्रस्तावित भू–उपयोग, लाडनूं–2031

क्र.सं.	श्रेणी	भू–उपयोग (हैक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	562.00	49.00	45.50
2.	वाणिज्यिक	82.00	7.20	6.60
3.	औद्योगिक	25.00	2.20	2.00
4.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	8.50	0.70	0.70
5.	आमोद–प्रमोद	160.00	14.00	12.90
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	165.00	14.40	13.30
7.	परिसंचरण	143.00	12.50	11.60
	कुल विकास योग्य प्रस्तावित क्षेत्र	**1145.50**	**100.00**	**92.60**
8.	पौद्यशाला, गौशाला	44.00	.	3.60
9.	जलाशय	1.50	.	0.10
10.	वृक्षारोपण	45.00	.	3.70
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		**1236.00**	**100.00**	**100.00**

5.1 आवासीय

भू–उपयोग प्रस्तावों में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित है। इस दृष्टिकोण से आवासीय योजना के प्रस्ताव, शहरी जीवन स्तर की सफलता को सबसे अधिक प्रभावित करते है। भू–उपयोग योजना प्रस्ताव में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का विशेष ध्यान रखा गया है साथ ही मार्गदर्शक सिद्धान्तों में वर्णित सामाजिक समता के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए, लाडनूं शहर में सभी आर्थिक वर्गो को, उनके आर्थिक स्तर के अनुसार आवासीय उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले, इनफौर्मल सेक्टर के निवासियों का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य स्थलों के पास उनके लिये विशेष सेक्टर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

लाडनूं शहर के लिये प्रस्तावित कुल 1236 हैक्टेयर नगरीकरण योग्य क्षेत्र में से 562 हैक्टेयर भूमि (45.50%) आवासीय उपयोग के लिये निर्धारित की गयी है। शहर

की सम्पूर्ण आबादी की बसावट आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तीन आबादी घनत्व श्रेणियों यथा 50–100, 101–200 एवं 201–300 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के स्तर पर बसाया जाना प्रस्तावित है। सामान्य रूप से शहर के केन्द्रीय क्षेत्रों, कार्य स्थलों से निकट लगते हुए क्षेत्रों में आबादी का घनत्व अधिक रखा गया है, जबकि केन्द्र से दूर बढ़ते क्षेत्रों में घनत्व को क्रमशः कम रखा गया है। केन्द्र एवं कार्य क्षेत्रों के पास लगते हुए क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं इनफौर्मल सेक्टर तथा दूर के क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सम्पन्न निवासियों को बसाने का प्रस्ताव दिया गया है।

5.1(1) आवासन

आवासीय क्षेत्रों के विकास की कल्पना आणविक सरंचना (DNA) के समानान्तर की गयी है। भारतीय सभ्यता में वर्षो से चली आ रही मौहल्ले की कल्पना को आवासीय क्षेत्र का मूल आणविक घटक माना गया है। यह अनुमान किया गया है कि एक मौहल्ले में 150–200 परिवार यथा 1500–2000 व्यक्ति निवास करेंगे, ताकि भारतीय सभ्यता के अनुकूल उनमें परस्पर आत्मीयता, पड़ोसीपन एवं पारिवारिक प्रगाढ़ता बनी रहे। ये 150–200 परिवार, 4.5 समूहों में सांझी सुविधा युक्त केन्द्र, जिसमें बच्चों के खेलने के लिये उद्यान, कुछ खुदरा की दुकानें, एक सामुदायिक स्थल हों, गठित किये जायेंगें।

इस तरह से चार इकाईयों को मिलाकर एक सेक्टर का अनुमान किया गया है जिसमें 16,000–20,000 तक व्यक्ति निवास करेंगे। सेक्टर में मौहल्ले स्तर से उच्चतर स्तर की सुविधाओं का प्रावधान कर योजना निर्मित की जायेगी।

उपरोक्त के क्रम में कई सेक्टरों को मिलाकर जिसमें लगभग 40,000 से 60,000 तक व्यक्ति निवास करेंगे, एक योजना क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। यह योजना क्षेत्र अधिकतर आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों के संदर्भ में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा।

पुराने शहरी क्षेत्र में मूलतः उस शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है जो अब तक बिना किसी नियोजन यथा स्वविवेक के आधार पर विकसित हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र टेड़ी–मेड़ी गलियों एवं तंग रास्तों के बीच जकड़ा हुआ देखा जा सकता है तथा इसका ज्यादातर भाग थोक एवं खुदरा वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में

परिवर्तित हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में अधिक व्यस्त एवं यातायात सघनता के कारण यह क्षेत्र असुविधाजनक हो गया है।

इस क्षेत्र के लिये नवीनीकरण योजना प्रस्तावित है। नवीनीकरण योजना के तहत (i) वर्तमान बस स्टैण्ड (ii) सब्जी मण्डी (iii) हार्डवेयर, इमारती सामान, मशीनरी आदि के थोक व्यापार केन्द्रों को यहां से हटाकर अन्य स्थानों, जिन्हें आज के मानक स्तरों पर विकसित किया जायेगा, स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और इस तरह से उपलब्ध रिक्त भूमि में एक आधुनिक सिटी स्कवायर खुला हुआ क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पुरानें पड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्न्यन कर आज के अनुकूल बनाया जाना, मार्गो से अतिक्रमण हटाना, चौराहों की ज्यामिती ठीक करना जैसे कार्यो का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

कच्ची बस्तियां

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 तक बस चुकी कच्ची बस्तियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है तथा समाधान के लिये केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा Affordable Housing नीति 2009–2010 जारी की गयी है। चूंकि लाडनूं शहर में यद्यपि कच्ची बस्तियों जैसी स्थिति अनेक स्थानों पर दिखायी पड़ती है तथापि नगरपालिका द्वारा अभी तक इन्हें चिन्हित करने की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है अतः कच्ची बस्तियों को चिन्हित करते हुए उनके सुधार बाबत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 वाणिज्यिक

लाडनूं अपने ऐतिहासिक स्वरूप एवं क्षेत्रीय विशेषता के कारण प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित रहेगा तथा यहां पर लगभग 25 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या विभिन्न व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होगी। इन गतिविधियों को अधिक युक्तिसंगत बनाने एवं लोगों की दैनिक आवश्यकताओं के लिये अधिक दूरी से बचने के लिये एक पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। इससे विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

सभी प्रमुख, उपप्रमुख व अन्य मुख्य सड़कें जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 18 मीटर से कम नहीं हो, उनसे लगती हुई भूमि पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार तथा सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक विकास अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु भू–उपयोग परिवर्तन सक्षम

अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। ये विकास एकल सम्पति की गहराई अथवा 30 मीटर की गहराई जो भी कम हो में ही किये जा सकेंगे।

5.2(1) शहरी केन्द्र

वर्तमान में गांधी चौक, सदर बाजार, सेवा चौक क्षेत्र में विकसित बाजार, शहर के वाणिज्यिक केन्द्र की भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ तेली रोड, स्टेशन रोड, बस स्टैण्ड रोड नागौर रोड पर भी पक्तिबद्ध दुकानें संचालित है। इसी क्षेत्र में खुदरा एवं मशीनरी, कृषि यंत्र, हार्डवेयर, इमारती सामान एवं अन्य थोक व्यापारिक गतिविधियां भी होती है। कुल मिलाकर इन वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत 6.60 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो इस क्षेत्र की ग्राहय क्षमता से कहीं अधिक है। इन कारणों से सड़कों पर यातायात अवरूद्धता बनी रहती है।

पुराने शहरी क्षेत्र से थोक व्यापार, भण्डारण, बस स्टैण्ड, सब्जी मंड़ी आदि गतिविधियों को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इन गतिविधियों के लिये पश्चिम में सोनारी रोड पर 8 हैक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित है। सब्जी मंडी, प्रस्तावित कृषि उपज मंडी के साथ ही बाईपास पर आ सकती है। छोटा फल–सब्जी बाजार दक्षिण में बाईपास रोड पर प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र में भी स्थापित हो सकता है। सब्जी मंड़ी, बस स्टैण्ड के स्थानान्तरित होने के बाद इस क्षेत्र की योजना तैयार कर सौन्दर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इससे इस घनी बसावट वाले क्षेत्र में एक खुला क्षेत्र विकसित हो सकेगा।

5.2(2) व्यावसायिक केन्द्र

शहरी क्षेत्र में बड़े स्तर पर वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये व्यावसायिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये है। इन केन्द्रों में खुदरा दुकानें, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेन्ट, सिनेमा, सामुदायिक भवन, होटल आदि सुविधाएं प्रस्तावित की गयी है। ऐसे 4 सामुदायिक केन्द्र प्रस्तावित हैः

i. शिव मन्दिर व्यावसायिक केन्द्र - 2 हैक्टेयर
ii. मदीना कॉलोनी व्यावसायिक केन्द्र - 3 हैक्टेयर
iii. मंगरा कॉलोनी व्यावसायिक केन्द्र - 2 हैक्टेयर
iv. बाईपास रोड व्यावसायिक केन्द्र - 5 हैक्टेयर

5.2(3) थोक व्यापार

लाडनूं शहर में अब तक किसी भी थोक व्यापार के लिये अलग से स्थल नहीं है। शहर के भीतरी क्षेत्रों से यातायात के दबाव को कम करने के लिये बाहरी क्षेत्रों में स्थान प्रस्तावित किये गये है। शहर के दक्षिण में किशनगढ़ रोड एवं नागौर रोड के बीच 14 हैक्टेयर क्षेत्र में अनाज मंड़ी प्रस्तावित है। टिम्बर मार्केट, इमारती सामान, मशीनरी हार्डवेयर आदि के लिये सुनारी रोड पर स्थल निर्धारण किये गये है।

5.2(4) भण्डारण एवं गोदाम

वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से शहर में अतिरिक्त भण्डार गृहों एवं गोदामों की आवश्यकता होगी। भू–उपयोग योजना में ऐसे 2 क्षेत्र प्रस्तावित है जो क्रमशः प्रस्तावित कृषि उपज मंडी के पूर्व में तथा रेलवे लाईन के उत्तर–पश्चिम में औद्योगिक क्षेत्र के पास प्रस्तावित है। इस उपयोग के लिये लगभग 14 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.3 औद्योगिक

लाडनूं में वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। परन्तु शहर की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये एक नियोजित औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इससे वर्तमान औद्योगिक इकाईयों को अपनी कार्यशीलता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा तथा यहां पर बाहर से भी लोग उद्योग लगाने के लिये आ सकेंगे। इन्ही बातों को ध्यान में रखकर एक औद्योगिक क्षेत्र उत्तर में रेलवे लाईन के समीप बाईपास रोड पर 25 हैक्टेयर में प्रस्तावित किया है।

लाडनूं में कपड़ो की रंगाई, छपाई एवं बुनाई का काम कुटीर उद्योग के रूप में नये औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकेगा। यहां का प्रसिद्ध ऊँट गाड़ी उद्योग भी व्यवस्थित रूप से इस क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

लाडनूं में पत्थर की खाने शहर के समीप स्थित है जो शहरीकरण क्षेत्र के अन्दर आ जायेगी अतः इन खदानों को बन्द कर इन्हें वृक्षारोपण द्वारा खुले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.4 राजकीय

5.4(1) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय

लाडनूं शहर में मुख्य सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय रेलवे लाइन के पूर्व में जसवन्तगढ़ रोड पर स्थित है। कुछ अन्य कार्यालय जैसे– जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत वितरण निगम, वन विभाग, परिवहन विभाग आदि शहर के अन्यत्र स्थानों पर कार्यरत है अतः मास्टर प्लान में सरकारी कार्यालयों को एक ही स्थानों पर केन्द्रित करने के उद्धेश्य से जसवन्तगढ रोड स्थित क्षेत्र को विस्तरित करने के लिये अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। जहाँ पर सरकारी कार्यालय सामुदायिक केन्द्र एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के लिये प्रस्तावित स्थल विकसित किये जा सकते है।

5.5 आमोद–प्रमोद

लाडनूं शहर में वर्तमान में खुले स्थान, खेल के मैदान, मेले एवं अन्य पर्यटन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लाडनूं शहर में विभिन्न स्तरों पर उद्यान, खुले स्थान, खेल के मैदान इत्यादि निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये है:

5.5(1) उद्यान एवं खुले स्थान

लाडनूं शहर में वर्तमान में उद्यान एवं खुले स्थान विभिन्न स्तरों पर उन्नत किये जाने का प्रस्ताव है। ऐसे बड़े खुले स्थल भू–उपयोग योजना में दर्शाये गये है। स्थानीय स्तर पर उद्यान एवं खुले स्थल आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय दर्शाये जायेंगे। वर्तमान बस स्टैण्ड के स्थानान्तरित होने के बाद इस क्षेत्र को 20 खम्भों वाली छतरी एवं पुराने कुई के साथ एक शहरी स्तर का खुला क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सभी योजना क्षेत्रों में 2 से 4 हैक्टेयर क्षेत्र के पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। बस स्टैण्ड के दक्षिण में जैन मन्दिर के दक्षिण पश्चिम में निचली जमीन है जहाँ गन्दा पानी भरा रहता है, इस क्षेत्र को जल निकास की सुविधा प्रदान कर पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है।

शहर के बीच स्थित किले की खाली भूमि पर एक शहरी स्थल का पार्क विकसित किया जा सकेगा। जो पुराने शहर में रहने वाले लोगों के लिये विशेष

उपयोगी होगा। गांधी चौक से सब्जी मंडी के स्थानान्तरित होने पर इस स्थल को खुले स्थल के रूप में सौन्दर्यीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

शहर के उत्तर में छीपीलाई ताल क्षेत्र एक हरा–भरा क्षेत्र है। यहां पर अधिकांश भूमि राजकीय है तथा अभी रिक्त है। इसकी प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र को एक क्षेत्रीय उद्यान के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। इसमें वृक्षारोपण, हिरण बसेरा आदि विकसित कर इसे पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। यहां पर शहर के लोग मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद हेतु जा सकेंगे।

5.5(2) स्टेडियम एवं खुले मैदान

कुछ ही समय पूर्व बाईपास रोड पर स्टेशन के पास एक नया स्टेडियम स्थित किया गया है। परन्तु यह आकार में बहुत छोटा है यथा इसके अन्दर क्रिकेट, हाकी, फुटबाल जैसे खेलों का आयोजन किया जाना सम्भव नही है। इस स्थिति के चलते वर्तमान स्टेडियम का विस्तार करते हुए 4 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गयी है। यहां पर खेल संकुल भी स्थापित किया जा सकेगा।

5.5(3) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाएं जिसमें म्यूजियम, आर्ट गैलेरी, योग केन्द्र, आदि शामिल है, के लिये प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों में एवं सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों में उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर आवासीय योजना बनाते समय भी ऐसे स्थलों का प्रावधान किया जायेगा।

5.5(4) मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

लाडनूं में प्रमुख मेला स्थलों में जसवंतगढ़, पशु मेला क्षेत्र एवं तीज का मेला क्षेत्र नृसिंह जी का मन्दिर का क्षेत्र प्रमुख है। इसके अतिरिक्त यहां अन्य स्थानों जैसे– उमरशाह की दरगाह, शीतला माता मन्दिर, बालाजी मन्दिर आदि स्थानों पर भी समय–समय पर मेला लगता है। इन स्थानों पर खुला स्थल उपलब्ध है अतः मास्टर प्लान में इन स्थलों को विकसित कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। होटलों के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों में इन्हें लगाया जा सकता है। कुछ पुरानी हवेलियों को भी पुरातत्वीय स्मारक के रूप में चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार का

कार्य किया जा सकता है। इससे इन स्मारकों के संरक्षण के साथ ही पर्यटन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

लाडनूं शहर के निवासियों एवं क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकता के अनुरूप लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सार्वजनिक सुविधाएं जैसे– शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल, सामुदायिक भवन, जनोपयोगी सुविधाओं के लिये मास्टर प्लान में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के लिये पर्याप्त स्थल भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाये गये है। इन सुविधाओं के लिये कुल 165 हैक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है जो नगरीकरण योग्य क्षेत्र का 14.40 प्रतिशत होगा।

5.6(1) शैक्षणिक

लाडनूं शहर में शैक्षणिक सुविधाओं का निचले स्तर पर विकास नहीं हो सका है। शासन की शैक्षणिक नीति के अनुसार शिक्षा के स्तर को अधिकतम विकसित करना आवश्यक है। इसी आधार पर यहां क्षितिज वर्ष के लिये शैक्षणिक आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। निम्न तालिका संख्या–14 में वर्ष 2031 की शैक्षणिक संरचना का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका–14

अनुमानित शैक्षणिक संरचना लाडनूं–2031

क्र. सं.	विद्यालय स्तर	आयु वर्ग	विद्यालयों में जाने योग्य बच्चों की संख्या	अनुमानित विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1 से 5)	5–10	14,400	40
2.	उच्च प्राथमिक (6 से 8)	11–13	8,400	22
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9 से 12)	14–17	12,000	35

लाडनूं में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के विस्तार के लिये उसके पूर्व में रिक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। यहां पर कुछ अन्य शैक्षणिक, तकनीकी अनुसंधान एवं उच्च स्तरीय शैक्षणिक केन्द्र के लिये भी भूमि का प्रावधान किया गया है। बाईपास

रोड के दक्षिण बाल समन्द रोड पर एक उच्च शिक्षा संस्थान के लिये भूमि प्रस्तावित है।

भू–उपयोग योजना में प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिये अलग से भूमि प्रस्तावित नहीं की गयी है परन्तु आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजना बनाते समय इनका प्रावधान किया जायेगा। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत दर्शायी गयी भूमि में इनका प्रावधान किया गया है।

5.6(2) चिकित्सा

चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत वर्तमान उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए शहरी स्तर पर 3 हैक्टेयर में एक सिटी अस्पताल प्रस्तावित किया गया है। यह अस्पताल लाडनूं शहर में विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान करेगा। इसे शहर के दक्षिण में बाईपास रोड के साथ लगते क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि यह सभी शहरवासियों आसान पहुच के अन्दर हो।

सिटी अस्पताल के अतिरिक्त प्रत्येक योजना क्षेत्र में भी स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी आदि के लिये सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

5.6(3) सामाजिक / सांस्कृतिक

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल, अप्पू घर, सार्वजनिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान शहरी एवं निचले स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत योजना बनाते समय आवासीय क्षेत्रों एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये प्रस्तावित स्थलों पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

5.6(4) धार्मिक स्थल / ऐतिहासिक

मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा जैसे धार्मिक स्थलों को यथावत रखा गया है। इनके आस–पास उपलब्ध अतिरिक्त खुला क्षेत्र प्रस्तावित है। ऐतिहासिक स्थलों के समीप क्षेत्र को विकसित किया जाना है, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, पार्किग व्यवस्था उपलब्ध कराना इत्यादि प्रस्तावित है। भविष्य में नये धार्मिक स्थल स्थानीय नागरिकों की सहमति से आवासीय क्षेत्रों में विकसित किये जा सकते है।

5.6(5) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य सभी सामुदायिक सुविधाओं जैसे– डाक तार घर, पुलिस थाने, दूरभाष केन्द्र, धर्मशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, टाउन हॉल, विवाह स्थल आदि प्रत्येक योजना क्षेत्र में मानक स्तरों एवं जनसंख्या के आधार पर विस्तृत ले–आउट प्लान तैयार करते समय प्रस्तावित किए जाएंगे। उक्त सुविधाएं भू–उपयोग मानचित्र में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये आरक्षित भूमि में प्रस्तावित किये जा सकेंगे।

- **श्मशान एवं कब्रिस्तान**

सभी वर्तमान शमशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जाएगा जबकि भविष्य के संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भूमि का प्रावधान प्रत्येक योजना क्षेत्र एवं परिधि नियंत्रण पट्टी में किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(6) जनोपयोगी सुविधाएं

जनोपयोगी सुविधाओं में जलापूर्ति, जल–मल निस्तारण व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था शामिल है। शहर के निवासियों के जीवन यापन की गुणवत्ता जनोपयोगी सुविधाओं के प्रावधानों की गुणवत्ता स्तर पर निर्भर करती है अतः ये व्यवस्थायें अत्यन्त महत्वपूर्ण है। तथापि वर्तमान शहरी प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिताओं की योजना तैयार करने का दायित्व सम्बन्धित विभागों यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण विभाग एवं नगरपालिका का है। मास्टर प्लान सम्बन्धित विभागों को योजना तैयार करने के लिये भू–उपयोग मानचित्र के रूप में आधारभूत रूपरेखा एवं नगर नियोजन के मानक स्तर प्रदत्त करता है।

5.6(6)अ जलापूर्ति

लाडनूं शहर की जलापूर्ति का वर्तमान स्त्रोत भूगर्भीय जल है। गुणवत्ता की दृष्टि से उपलब्ध जल का केवल 32 प्रतिशत ही स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है जबकि 68 प्रतिशत जल लवण, फ्लोराइट एवं नाइट्रेट युक्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कई दशकों से अत्यधिक दोहन होने के कारण भूगर्भीय जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है।

उपरोक्त स्थिति के चलते लाडनूं शहर की जलापूर्ति के लिये वैकल्पिक जल स्त्रोत की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस संदर्भ में "नागौर लिफ्ट जल आपूर्ति योजना" द्वितीय चरण काफी समय से राज्य सरकार के पास क्रियान्वयन हेतु विचाराधीन है अतः इस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान पाईप लाईन नेटवर्क में जो पाईप लाईन 30 वर्ष से ज्यादा पुरानी हो चुकी है उन्हे बदलना प्रस्तावित है। लाडनूं में वर्तमान जल आपूर्ति को और सक्षम बनाया जाना आवश्यक है तथा कम से कम 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति करना आवश्यक है।

5.6(6)ब जल–मल निकास

वर्तमान में लाडनूं शहर में सीवरेज की कोई व्यवस्था नही है केन्द्रीय सरकार द्वारा लाडनूं जैसे शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने के लिये जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन लाया गया है। लाडनूं शहर के लिये सीवरेज योजना, सलाहकार सेवाओं के माध्यम से जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत बनायी जाकर क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है। इससे शहर के पर्यावरण में सुधार होगा एवं स्वच्छता में वृद्धि होगी।

ठोस कचरा प्रबन्धन

वर्तमान में लाडनूं शहर में ठोस कचरा प्रबन्धन की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नही है। भविष्य के लिये नगरपालिका के माध्यम से वैज्ञानिक प्रद्धति से ठोस कचरा प्रबन्धन की योजना तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत कचरा वर्गीकरण, कचरा पुनर्चक्रण एव कचरे से खाद बनाया जाना जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ठोस कचरा निस्तारण स्थल की वैज्ञानिक पद्धति से निर्माण कर कचरा निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी योजना को जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत शीघ्र बनाकर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

5.6(6)स विद्युत

लाडनूं शहर में वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति 33 एवं 132 KV के सबग्रिड स्टेशन के माध्यम से की जा रही है। यह आपूर्ति व्यवस्था लाडनूं शहर के लिये पर्याप्त नहीं पड़ती है। प्रस्तावित किया जाता है कि लाडनूं शहर के लिये 220 KV सबग्रिड

स्टेशन स्थापित किया जाये। विद्युत वितरण व्यवस्था में भी सुधार के साथ ही शहर को नियमित विद्युत आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। इससे लोगों को शहर में रहने में कष्ट नहीं होगा तथा उद्योगों को भी बिजली मिल सकेगी।

5.7 परिसंचरण

5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना

किसी भी शहर की कार्य–कुशलता (Operational efficiency) उस शहर की यातायात व्यवस्था पर निर्भर करती है जबकि परिवहन व्यवस्था की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह नागरिकों को शहर के विभिन्न स्थलों/सुविधाओं तक कितनी आसानी से, कितने कम समय में, कितनी कम ऊर्जा की खपत के साथ एवं सुरक्षित माहौल में पहुँचाती है।

उपरोक्त उद्धेश्य के चलते परिवहन व्यवस्था एवं भू–उपयोगों को एक–दूसरे के अनुपूरक मानते हुए भू–उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है। इस तरह तैयार की गयी परिवहन व्यवस्था के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः

- पूरे नगरीय क्षेत्र को समायोजित करते हुए एक 60 मीटर चौड़ी रिंग रोड प्रस्तावित की गयी है ताकि शहर से असम्बद्ध वाहनों को बाहर से ही गन्तव्य स्थानों की तरफ निकाला जा सके तथा शहर को अनावश्यक वाहनों की अवरूद्धता से बचाया जा सके।
- उक्त रोड किशनगढ़ बाईपास चौराहों से पश्चिम दिशा में होती हुई मूंडवा रोड, उदवाला रोड, गोपालपुरा रोड से आगे जैन विश्व भारती के उत्तर से होकर छीपीलाई क्षेत्र के आगे मेगा हाईवे से सीधी जुड़ जायेगी। इस सड़क के निर्माण से कृषि उपज मंड़ी, जैन विश्व भारती, छीपीलाई एवं औद्योगिक क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे।
- एक अन्य सब आर्टीरीअल रोड पूर्व में स्टेशन रोड से जैन विश्व भारती को सीधा मार्ग प्रदान करेगी इसकी चौड़ाई 30 मीटर होगी।
- शहरीकरण क्षेत्र में विभिन्न स्तर की सड़कें जैसे प्रमुख मार्ग, फीडर रोड एवं आवासीय मार्गो के माध्यम से निचले स्तर यथा स्थानीय स्तर तक विभाजित किया गया है ताकि सम्पूर्ण क्षेत्र में सड़क द्वारा सुगमता से पहुँचा जा सके।

- वर्तमान में मेगा हाईवे स्टेशन के दक्षिण में रेलवे लाइन को पार करती है तथा उत्तर में भिआडी गाँव से आगे जाकर पुनः रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है, अतः इस पर दो ओवर ब्रिज बनाने पड़ेगें। वर्तमान में रेलवे स्टेशन के सामने से होकर रेलवे लाइन के समानान्तर उत्तर की ओर जा रही सड़क काफी चौड़ी है। इस सड़क पर अभी अवैध निर्माण भी नहीं हुआ है अतः उक्त सड़क का विस्तार एवं सुधार कर मेगा हाईवे का मुख्य मार्ग बनाया जा सकता है। शहर के पूर्वी छोर से गुजरती हुई यह सड़क बाईपास का काम भी करेगी।

कुल मिलाकर प्रस्तावित मार्गतंत्र इस तरह की संरचना प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार भू–खण्ड स्तर से उत्पन्न ट्रैफिक आवासीय मार्ग पर पहुँचता है तथा समाहित होकर आवश्यकतानुसार फीडर रोड पर फिर क्रमशः आगे प्रमुख मार्ग – रिंग रोड से होता हुआ गन्तव्य स्थानों तक पहुँचता है और इसी तरह से गन्तव्य स्थानों से क्रमशः निचले स्तर के मार्गो पर वितरित होता हुआ क्षेत्रिय भू–खण्ड स्तर तक पहुँचता है। इस प्रकार प्रस्तावित रोड नेटवर्क में शामिल विभिन्न मार्गो का मार्गाधिकार सम्भावित ट्रैफिक लोड़ को दृष्टिगत रखते हुए निम्न का विवरण तालिका संख्या–15 में दर्शाया गया है:

5.7(1)अ सड़कों का मार्गाधिकार

तालिका–15

सड़कों का मार्गाधिकार, लाडनूं–2031

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	सड़कों का मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग / बाईपास	60
2.	आरटेरियल (प्रमुख मार्ग)	45
3.	सब–आरटेरियल (उपप्रमुख मार्ग)	30
4.	मुख्य सड़क	24

5.7(1)ब मार्गो का वृहदीकरण एवं उनका सुधार

सड़कों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने पर पाया गया कि निम्न सड़कों पर यातायात भार सड़कों की भार क्षमता से अधिक हो रहा है अतः इन सड़कों को

चौड़ा करना/सुधार किया जाना प्रस्तावित है तथा चौड़ा करते समय मार्गाधिकार में आने वाले पक्के निर्माणों को कम से कम हटाया जाना प्रस्तावित है तथा वरिष्ठ नगर नियोजक, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका एवं उपखण्ड अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा ऐसी सड़को का उपयुक्त मार्गाधिकार निश्चित कर सकेगी।

i. किशनगढ़ से गांधी चौक रोड – सब आर्टीरियल

ii. गांधी चौक से रेलवे स्टेशन बाया जौहरी स्कूल – सब आर्टीरियल

iii. तेली रोड – प्रमुख मार्ग

iv. हास्पिटल रोड – प्रमुख मार्ग

v. शिव मन्दिर से जौहरी स्कूल – प्रमुख मार्ग

vi. अन्य सभी सड़कें योजना में प्रस्तावित चौड़ाई के अनुरूप होगी।

5.7(1)स चौराहों का सुधार

चौराहों की वर्तमान ज्यामितीय के अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया कि लगभग सभी चौराहों की रोड ज्यामितीय में सुधार की आवश्यकता है अतः मास्टर प्लान प्रस्ताव के तहत तदानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में निम्न चौराहों का विकास एवं रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्यक्रम तुरन्त लिया जाना प्रस्तावित हैः

i. बस स्टैण्ड बीस खम्भों वाली छतरी चौराहा

ii. रेलवे स्टेशन के सामने

iii. स्टेडियम टंकी के पास

iv. करंट बालाजी चौराहा

v. डीडवाना रोड चौराहा

vi. गांधी चौक

vii. हनुमान गेट चौराहा

viii. पी.एच.ई.डी. चौराहा

ix. राजकीय अस्पताल चौराहा

रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण

वर्तमान में शहरी क्षेत्र के बीच से रेलवे लाईन गुजरती है जिसके चलते इस रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक बाधित रहता है अतः इस स्थान पर एक रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित है।

5.7(1)द पार्किंग व्यवस्था

वर्तमान में लाडनूं शहर में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके चलते ट्रक, बस, अन्य वाहन बेतरतीब ढंग से पूरे शहर में इधर–उधर खड़े रहते है जिसके फलस्वरूप वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है। इस संदर्भ में शहर के अन्दरूनी हिस्सों, विशेषकर वर्तमान बस स्टैण्ड के आस–पास की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तरफ बस स्टैण्ड वर्तमान स्थल से हटाया जाकर सुव्यवस्थित रूप से अन्यत्र समुचित पार्किंग व्यवस्था के साथ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही एक नया ट्रक टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है, जहां पर शहर में विभिन्न स्थानों पर खड़े ट्रकों के पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। रेलवे स्टेशन के पास यात्री वाहन पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थल उपलब्ध है। पुराना रेलवे फाटक बन्द होने के बाद रिक्त भूमि भी वाहन पार्किंग के लिये उपलब्ध होगी।

इसके अतिरिक्त भवन विनियम 2000 के अन्तर्गत भवन स्तर पर निर्धारित पार्किंग व्यवस्था को लागू किया जायेगा जिसके चलते सड़कों पर अनियंत्रित ढंग से वाहनों के खड़े होने को रोका जा सकेगा।

5.7(2) बस एवं ट्रक टर्मिनल

वर्तमान में लाडनूं शहर में कोई बस टर्मिनल उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते शहर के पुराने क्षेत्र में सुखदेव आश्रम के पास स्थित राहू गेट से लगते हुए क्षेत्र में बसें अनियंत्रित ढंग से खड़ी रहती है। पास ही सब्जी मार्केट एवं अन्य खुदरा बाजार स्थित है अतः आवागमन के लिये उपलब्ध सड़कों की चौड़ाई अपर्याप्त है। बस यात्रियों के लिये पार्किंग, विश्रामालय इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर सभी ओर असुविधा एवं अव्यवस्था का माहौल है। वर्तमान में राजस्थान राज्य परिवहन निगम के लिये 65 बसें तथा निजी एजेन्सियों की 70 बसें यहां से संचालित की जाती है। इस स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् वर्तमान बस स्टैण्ड को इस स्थान से हटाया जाकर 2 हैक्टेयर क्षेत्र में बाईपास रोड पर एक नया आधुनिक सुविधाओं से

युक्त बस टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत बसों के पार्किंग व्यवस्था के साथ यात्री वाहनों की भी पार्किंग व्यवस्था होगी।

उल्लेखीय है कि वर्तमान बस स्टैण्ड के हटाये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि पर एक सिटी स्क्वायर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में लाडनूं शहर में कोई सुव्यवस्थित ट्रक टर्मिनल उपलब्ध नहीं है जिसके चलते शहर में आने वाले ट्रक विभिन्न स्थानों पर खड़े रहते हैं तथा यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है अतः 7 हैक्टेयर क्षेत्र में बाईपास रोड के चौराहा के पास किशनगढ़ रोड पर एक ट्रक टर्मिनल विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7(3) रेल सेवा

लाडनूं शहर की मुख्य आबादी क्षेत्र के पूर्व में रेलवे स्टेशन, दिल्ली–जोधपुर बड़ी लाईन पर स्थित है। रेल के माध्यम से यह बड़े शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इन स्थानों से प्रारम्भ/पहुचने वाली रेलगाड़ियां लाडनूं रेलवे स्टेशन पर रूकती है। भविष्य में रेलवे में माल ढुलाई एवं यात्री भार में वृद्धि के दृष्टिगत अतिरिक्त भूमि रेलवे यार्ड एवं अन्य सम्बन्धित उपयोगों के लिये प्रस्तावित की गयी है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

कस्बे में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्धेश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों तरफ एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्धेश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किये जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज निय, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाईवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, होटल, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मौटैल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, कृषि उद्योग तथा दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशन, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

5.8(1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

सभी ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिये शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर विस्तृत योजना राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत तैयार की जायेगी एवं आवश्यकतानुरूप भू–उपयोग प्रस्तावित किये जायेंगे।

5.9 जोनिंग रेग्युलेशन

मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न भू–उपयोग क्षेत्रों में अनुज्ञेय, विशेष आग्रह पर अनुज्ञेय एवं निषेध उपयोग, अध्याय 7 में वर्णित भू–उपयोग जोनिंग कोड के अनुसार अनुज्ञेय होंगे।

योजना का क्रियान्वयन 6

6.1 वर्तमान आधार

मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अध्याय–II में किया गया है, परन्तु मास्टर प्लान बनाये जाने के बाद मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था की होगी, प्रक्रिया क्या होगी एवं संसाधनों की व्यवस्था कहाँ से होगी? इस सम्बन्ध में किसी भी नियम, उपनियम का उल्लेख कहीं भी नही किया गया है।

मास्टर प्लान बनाये जाने बाबत वर्तमान प्रक्रिया के चलते मास्टर प्लान दस्तावेज के अन्तर्गत केवल लाडनूं शहर के नगरीय क्षेत्र का भू–उपयोग मानचित्र बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भू–उपयोग मानचित्र अकेले किसी भी नगर के विकास के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध नही है, नगरीय विकास के लिये भू–उपयोग मानचित्र के अनुक्रम में अनेक सहयोगी मानचित्र यथा जल वितरण नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क, ड्रेनेज नेटवर्क, ठोस कचरा प्रबन्धन प्लान तथा भू–उपयोग मानचित्र के क्रमवार निचले स्तर के विस्तृत मानचित्र (ले–आउट स्तर) यथा जोनल प्लान, सेक्टर प्लान, नेबरहुड प्लान, विभिन्न भू–उपयोगों के योजना प्लान इत्यादि क्रियान्वयन क्रम में (Phasing Plan) बनाये जाने आवश्यक है।

ले–आउट स्तर की योजना तैयार करने के पश्चात् क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिशील एवं पारदर्शी बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है इसके लिये मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाये गये मानचित्रों एवं रिपोर्ट के अनुक्रम में विकास नियंत्रण नियम (Development Control Rules), जोनिग रेगुलेशन एवं प्लानिग नार्मस भी बनाये जाने आवश्यक है।

तत्पश्चात् मास्टर प्लान प्रस्ताव को छोटी–छोटी योजनाओं एवं प्रोजेक्टस में विभाजित किया जाये। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उनका क्रम निर्धारित कर क्रियान्वयन माडल यथा BOT, BOOT, LPRD, Affordable Housing इत्यादि का चयन किया जाये।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत शहर की समस्त आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य अनेक राजकीय विभागों में विभक्त हुआ है। यथा जल वितरण एवं सीवरेज व्यवस्था के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिजली के लिये राज्य विद्युत वितरण निगम, स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा के लिये शिक्षा विभाग इत्यादि जिम्मेदार बनाये गये है। इन सभी विभागों के पास अपने स्वतत्रं कार्यक्रम एवं प्राथमिकताएँ होती है तथा वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इनका मास्टर प्लान में किये गये प्रस्तावों से कोई सांमजस्य नही है। ऐसी स्थिति में मास्टर प्लान के अन्तर्गत किये गये प्रस्तावों एवं उद्धेश्यों की पूर्ति की सम्भावना नगणय हो जाती है।

पिछले कुछ दशकों से भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया काफी जटिल हो गयी है। जबकि वर्तमान मास्टर प्लान, यह मानकर तैयार किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त नगरीकरण योग्य भूमि का त्वरित अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह सोच अब समय की परिस्थितियों पर सही नही बैठती, जिसके चलते मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की सम्भावना काफी कम हो जाती है।

उपरोक्त वर्णित सारी व्यवस्थाओं के करने के बाद भी जब तक क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त तकनीकी एवं प्रशासनिक जन शक्ति (Manpower) उपलब्ध न हो क्रियान्वयन का कार्य सम्पन्न नही किया जा सकता। वर्तमान व्यवस्था में स्वायत शहरी सस्थाओं जिनकी जिम्मेदारी मास्टर प्लान दस्तावेज के क्रियान्वयन की है के पास समुचित जन शक्ति उपलब्ध नही है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में बनाये जा रहे मास्टर प्लानों का क्रियान्वयन सम्भव नही है इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि यद्यपि अभी तक राजस्थान में 60.70 मास्टर प्लान बनाये जा चुके है परन्तु किसी भी मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका हैं। यथा वर्तमान व्यवस्था, मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त नही है अतः उपरोक्त वर्णित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा नियोजित विकास का स्वप्न अधूरा ही रहेगा।

6.2 प्रस्तावित आधार

योजना क्रियान्वयन के वर्तमान आधार के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिये एक ऐसी संस्था का गठन किया जाये, जो मास्टर प्लान

क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं यथा तकनीकी, प्रशासनिक, अभियांत्रिकी, वित्त विधि इत्यादि को समाधित करने की पर्याप्त क्षमता रखती हो। संस्था के पास (1) उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में तकनीकी, प्रशासनिक, विधिक, वित्तिय मानव शक्ति उपलब्ध हो। (2) ज्ञान एवं उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हो एवं (3) सभी पहलुओं पर निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र एवं आत्म निर्भर हो। राज्य सरकार द्वारा इस तरह की क्षमता वाली संस्था का गठन किया जाना अपेक्षित है।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि लाडनूं–जसवंतगढ़–सुजानगढ़ 12 कि.मी. में नीहित होने के फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के शहर के रूप में कार्य करेंगे। यह उपयुक्त होगा कि इन तीनों शहरों के विकास के लिये एक एकल संस्था स्थापित की जाये।

6.3 जनसहभागिता एवं जन सहयोग

पिछले कुछ दशकों में जनसहभागिता के अनेक नये माडल जैसे– BOT, BOOT, LPRD, Affordable Housing इत्यादि उभर कर सामने आये है। इनमें से सहभागिता के उचित माडल का चुनाव, योजना/प्रोजक्ट की प्रकृति, विधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान अनुमोदन के पश्चात् प्लान को छोटे–छोटे प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर परिस्थिति के अनुरूप से क्रियान्वयन हेतु जनसहभागिता के उपयुक्त माडल का चुनाव किया जाना आवश्यक है।

6.4 भू–उपयोग अंकन भूमि अवाप्ति

प्रस्तावित भू–उपयोग योजना को खसरा प्लान पर अध्यारोपित करना भू–उपयोग योजना के क्रियान्वयन के लिये एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान परिस्थितियों में जब भू–अवाप्ति किया जाना काफी दुष्कर हो गया है एवं योजना क्रियान्वयन का मूल आधार जनसहभागिता बन गया है तब यह पहलू और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भू–उपयोग प्रस्तावों को खसरा प्लान पर अध्यारोपित कर मास्टर प्लान क्रियान्वयन हेतु एक आधारभूत दस्तावेज तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3– राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्तिः

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होगें, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4– मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाय तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5– अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमो द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आंमत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित हैं, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अम्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्ति अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferrd by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959)] the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

(1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

(1) [(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office fo the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invition suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan][2].

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-

a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

d. Written analysis and written statement to support the proposals.

e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

(1) [(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same if [constituted] to the State Government for approval.

(2) [When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof wouuld be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."]

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप.10(190)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांकः 13 जनवरी, 2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को लाडनूं के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील लाडनूं जिला नागौर के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**
1-	लाडनूं
2-	पदमपुरा
3-	मंगलपुरा
4-	नाटास
5-	दुजार (किशनगढ़ – हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से एक किलोमीटर पूर्व एवं पश्चिम तक की दूरी का क्षेत्र)
6-	खिन्दास
7-	गोरेड़ी

राज्यपाल की आज्ञा से
ह0/–
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–4

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.10(190)नविवि/3/2009 जयपुर, दिनांक : 11 अप्रेल, 2012

–:अधिसूचनाः–

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत् यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.01.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित "लाड़नू, (जिला–नागौर) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, लाड़नू के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/–

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव–प्रथम